तैंतीसवां अंक

वार्षिकांक 2024

सूर्यसुता

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, दिल्ली

नई दिल्ली – 110002

सरस्वती वंदना

हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी
अम्ब विमल मति दे , अम्ब विमल मति दे ...
जग सिर मौर बनाएँ भारत
वह बल विक्रम दे , अम्ब विमल मति दे ...

साहस शील हृदय में भर दे ,
जीवन त्याग तपोमय कर दे
संयम सत्य स्नेह का वर दे , स्वाभिमान भर दे
हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी ,
अम्ब विमल मति दे , अम्ब विमल मति दे ...

लव-कुश , ध्रुव प्रहलाद बने ,
हम मानवता का त्रास हरे हम ,
सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर-घर भर दे
हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी ,
अम्ब विमल मति दे , अम्ब विमल मति दे ...

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक	:	श्रीमती रोली शुक्ला माल्गे महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली
संरक्षक	:	श्री वैभव शुक्ला व. उप महालेखाकार (प्रशासन एवं राजभाषा)
संपादक	:	श्री नवीन चुघ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (राजभाषा)
संपादन सहयोग	:	समस्त राजभाषा परिवार
अंक	:	तैंतीसवां

नोटः इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं तथा संपादक मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचना की मौलिकता तथा अन्य किसी विवाद के लिए रचनाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, दिल्ली

नई दिल्ली - 110002

संदेश

हमारे कार्यालय की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "सूर्यसुता" के 33वें अंक के प्रकाशन की इस वेला पर मेरा मन अत्यधिक प्रमुदित है। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को अपना रचना कौशल प्रदर्शित करने हेतु मंच प्रदान करना भी है। राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने की ओर कार्मिकों को प्रेरित करने में कार्यालयीन पत्रिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में 'सूर्यसुता' का स्थान अद्वितीय है।

जिन कृतिकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस पत्रिका को समृद्ध किया है, मैं उन समस्त कृतिकारों एवं संपादक मंडल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्यवाद करती हूँ। साथ ही, मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी 'सूर्यसुता' का प्रकाशन निर्बाध रूप में होता रहे।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

रोली

(रोली शुक्ला माल्गे)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

संदेश

वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'सूर्यसुता' का नवीनतम तैंतीसवां अंक आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। पत्रिका का प्रकाशन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का परिचय देने का सुनहला अवसर प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि पत्रिका के माध्यम से कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को नई गति मिलेगी और अधिक से अधिक कार्मिक राजभाषा हिंदी में काम करने की ओर प्रेरित होंगे।

मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी बहुमूल्य रचनाओं के माध्यम से इस पत्रिका को संपन्न किया है। संपादक मंडल भी बधाई के पात्र हैं। मैं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

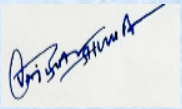

वैभव शुक्ला

व. उप महालेखाकार (प्रशासन/राजभाषा)

संपादकीय

भाषा मनुष्य के सभी आविष्कारों की जननी है। भाषा का सहारा लेकर ही मानव सभ्यता आज उन्नति के इस शिखर तक पहुंच पाई है। भारत सरकार ने संविधान बनाते समय सभी प्रांतों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शुरू में 14 भाषाओं को ही आठवीं अनुसूची में रखा था, परंतु अब इनकी संख्या 22 हो गई है। इनमें से संघ की राजभाषा हिंदी बनाई गई है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, अपितु संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी है। अतः हम सभी की यह ज़िम्मेदारी है कि प्रतिदिन के कार्यालयीन कामों में सब को एक साथ जोड़ने वाली इस राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और हिंदी को आगे बढ़ाएं।

कार्यालय की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'सूर्यसुता' का 33वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। हिंदी पत्रिका के प्रकाशन से कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग को नई गति मिलती है। इसके माध्यम से कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सृजन शक्ति का परिचय भी मिलता है। सभी रचनाकारों एवं सुधी पाठकों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग से यह पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर अग्रसर है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के बारे में अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराने की कृपा करें।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

नवीन चुघ
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजभाषा)

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो!

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह विशेष है, क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया जा रहा है।

भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारी अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी ने तब से लेकर आज तक, देश की विविधता में एकता स्थापित करने और सामूहिक सद्भावना को सुदृढ़ करने का महती कार्य किया है। हिंदी की इसी शक्ति के कारण उन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वालों में लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी एवं अन्य गैर-हिंदीभाषी महानुभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आजादी के बाद हिंदी की इसी सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख भारतीय भाषाओं को स्थान दिया।

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें आपको देश की कई भाषाओं के तत्व मिल जाएँगे। इसका इतिहास लिखने वालों ने तो रासो ग्रंथों, सिद्धों-नाथों की वाणियों से लेकर भक्तिकाल के संत कवियों और खड़ी बोली तक इसकी परम्परा को माना है। कवि चंदबरदाई से लेकर महाकवि विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, आंडाल, गुरू नानकदेव जी, संत रैदास, कबीरदास जी से लेकर आज तक कई साहित्यकारों व भाषाविदों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विकास में उन असंख्य लोकभाषाकारों का भी अमूल्य योगदान है, जो गायन-वादन के द्वारा इस भाषा के आदिरूपों को जन-जन तक पहुँचाते रहे। हिंदी भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाती, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुँमाउनी, गढ़वाली जैसी मातृभाषाओं के समन्वित रूप से ही तो बनी है। मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा इन मातृभाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार विकसित हो

रही है। आज जब राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी 75वीं वर्षगाँठ पूरी कर रही है, तब हमें इसका यह इतिहास जरूर याद रखना चाहिए।

14 सितंबर, 1949 से लेकर लगातार राजभाषा के रूप में हिंदी के संवर्धन के अनेक काम हुए हैं। राजभाषा विभाग की विशाल यात्रा को पीछे मुड़ कर देखें, तो हमें कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई देते हैं, जहाँ इस विभाग ने जिम्मेदारीपूर्वक सरकारी तंत्र को भाषिक चेतना के प्रति प्रेरित किया है।

साल 1977 में श्रद्धेय **अटल बिहारी वाजपेयी जी** ने तत्कालीन विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित कर राजभाषा का मान बढ़ाया। माननीय **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा में संबोधन देते हैं और भारतीय भाषाओं के उद्धरण देते हैं, तो समूचे देश में अपनी भाषा के प्रति गौरव के भाव को और बल मिलता है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने राजभाषा को और भी समृद्ध व सक्षम बनाने के हर संभव कार्य किए हैं। 2018 में अनुवाद टूल कंठस्थ का लोकार्पण हो, 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष महत्व देने की अनुशंसा हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधेयक पारित करना हो, 2022 में हिंदी दिवस पर कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हो या साल 2021 से हर साल हिंदी दिवस पर 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित करना हो, सरकार राजभाषा व भारतीय भाषाओं के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का 12वाँ खंड भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है।

राजभाषा में कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने साल 2022 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भी शुरू की है जिसके तहत ज्ञान-विज्ञान, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर एवं विधि के क्षेत्र में राजभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही, राजभाषा विभाग ने डिजिटल शब्दकोश 'हिंदी शब्द सिंधु' का निर्माण भी किया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटें, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचित भी हो और लाभान्वित भी। इस तरह 'आत्मनिर्भर भारत' व 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी भारतीय भाषाओं की सशक्त भूमिका रहने वाली है।

मुझे विश्वास है कि हिंदी दिवस एवं राजभाषा हीरक जयंती समारोह, मातृभाषाओं के प्रति राजभाषा विभाग की प्रतिबद्धता को और भी ऊँचाई देने का सार्थक माध्यम बनेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

वंदे मातरम!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2024

(अमित शाह)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	कैम्ब्रिज सफरनामा-रोचक यात्राओं का संस्मरण (भाग-1)	डॉ. विभा सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	1
2.	कैम्ब्रिज सफरनामा-रोचक यात्राओं का संस्मरण (भाग-2) - स्थान-डर्डल डोर, इंग्लैंड	डॉ. विभा सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	4
3.	माया की काया	श्री नागेश, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	7
4.	विद्यार्थी का जीवन	कुमारी वर्तिका पाहुजा सुपुत्री श्री समीर पाहुजा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	8
5.	कुछ बातें	श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक	10
6.	निशानियां	श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक	11
7.	बेटी: एक आभा, एक आस	श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	12
8.	स्कूटी-आज़ादी का प्रतीक	सुश्री संध्या, कनिष्ठ अनुवादक	15
9.	युद्ध और शांति: एक संवेदनशील द्वंद्व	सुश्री सृष्टि सुश्री शिक्षा वर्मा, लेखापरीक्षक की बहन	17
10.	पशु कल्याण क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?	श्रुति चुघ सुपुत्री श्री नवीन चुघ, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	18
11.	परमेश्वर को सधन्यवाद	श्री वेदप्रकाश खत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	20
12.	माँ की गरिमा	श्रीमती सीमा सिंघल, सहायक पर्यवेक्षक	21
13.	अपना लक्ष्य निर्धारित करो	श्री तारकेश्वर ठाकुर, लेखापरीक्षक	22
14.	मौन आदर्श	श्री मनोज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	23
15.	असफलता में सफलता	श्री हिमांशु सतोरिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	24
16.	सफर	श्री नागेश, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	25
17.	देश के आर्थिक विकास में जीवन बीमा का महत्व	सुश्री श्रुति चुघ, सुपुत्री श्री नवीन चुघ, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	27

क्र.सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं.
18.	ज़िंदगी	श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक	31
19.	जीवन का अर्थ	सुश्री तनुप्रीत कौर सुपुत्री श्री एम.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	33
20.	स्त्री	श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक	34
21.	मेहनत की महिमा	श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	35
22.	वृद्धावस्था: जीवन की चुप्पी	श्री मनोज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	36
23.	दृढ़ इच्छा-शक्ति	श्रीमती मीनू मल्होत्रा, सहायक पर्यवेक्षक	39
24.	श्रेष्ठ भाषा हिंदी	श्रीमती टीना आनंद गिरधर, डी.ई.ओ.	42
25.	रोज़ टहलना	श्रीमती मीनू मल्होत्रा, सहायक पर्यवेक्षक	43
26.	धात्विक लड़कियां	सुश्री तनुप्रीत कौर सुपुत्री श्री एम.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	45
27.	भारत में लोकतंत्र	श्री अशोक पोद्दार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	47
28.	भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं?	श्रीमती टीना आनंद गिरधर, डी.ई.ओ.	52
29.	मानिनी का मान	श्रीमती सीमा सिंघल, सहायक पर्यवेक्षक	54
30.	मानवता जाग गई अब	श्रीमती टीना आनंद गिरधर, डी.ई.ओ.	55
31.	नारी और हमारा समाज	सुश्री रिधि धवन, सुपुत्री श्रीमती रिंकी गुप्ता, व.ले.प.	56

सामग्री

क्र.सं.	कार्यालय सामग्री	पृष्ठ सं.
1.	सेवानिवृत्ति	57
2.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम	58

कैम्ब्रिज

सफरनामा-रोचक यात्राओं का संस्मरण (भाग-1)

प्रिय ज़िंदगी,

उम्मीद है कि तुम आज के उठापटक के गंभीर कालचक्र में सुकून के कुछ बेहतरीन पलों को बेहतरीन तरीके के गुज़ार रही हो।

चलो आज कुछ खुशगवार लम्हों को फिर से मुस्कराते हुए सबके साथ साझा करते हैं। बीते जुलाई 2024 में अपने ऑफिस से विदेश यात्रा की अनुमति लेकर मैं अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में स्थित कैम्ब्रिज में समय बिताने के लिए पहुँच गई।

कैम्ब्रिज अपने आप में बहुत ही सुंदर, शांत, हरा-भरा, रंग-बिरंगे फूलों से लदा हुआ, व्यवस्थित और साफ-सुथरी जगह है। काफी पुराना शहर है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतरीन विश्वविद्यालय अपने अनेकों कॉलेजों के साथ शहर की खूबसूरती में इज़ाफा करता है। इसके साथ ही यातायात के पब्लिक साधन बहुत ही व्यवस्थित सुचारू रूप से अनुशासन के साथ काम करते हैं। बहुत ही सुंदर शहर जिसके बीचों-बीच कैम नदी बहती हुई शानदार प्राकृतिक दृश्य को प्रस्तुत करती है। बड़े-बड़े चारागाह और एक ही डिज़ाइन के समानांतर तरीके से और करीने से बने हुए पारंपरिक शैली के मकानों की कतारें बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। साथ ही प्रदूषण रहित साफ हवा, हल्का ठंड़ा मौसम व बीच-बीच में हल्की-फुल्की बारिश यहां रहने के अनुभव को और भी बेहतरीन बनाती है।

कैम्ब्रिज के इतिहास के बारे में कुछ रोचक व महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार से हैं-

1. इस शहर की स्थापना सन् 875 में हुई थी। उस समय इसे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था।
2. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना 1209 ई. में की गई थी।
3. कैम्ब्रिज में अनेकों गिरजाघर हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध गिरजाघर किंग्स कॉलेज चैपल है।
4. सन् 1400 के दौरान यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया जिसमें अनाज और कपड़ों का व्यापार होता था।

5. कैम्ब्रिज विज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र 19वीं शताब्दी में बन गया। बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वानों ने यहां शिक्षा प्राप्त की है। आज के समय में भी कैम्ब्रिज एक प्रमुख शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है।

ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, कैम्ब्रिज में कई महत्वपूर्ण शोध और विकास की वजह से रेडार एवं कंप्यूटर आदि का विकास संभव हुआ।

यहां तक कि डीएनए की खोज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन् 1953 में शोधकर्ता जेम्स वाट्सन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इन दोनों को सन् 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

इन सब से आपको यह पता चल गया होगा कि यह शहर अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। कुछ चुनिंदा तस्वीरें भी साझा कर रही हूँ जिससे इस शांत व व्यवस्थित शहर का कुछ अंदाज़ा लगया जा सकता है।

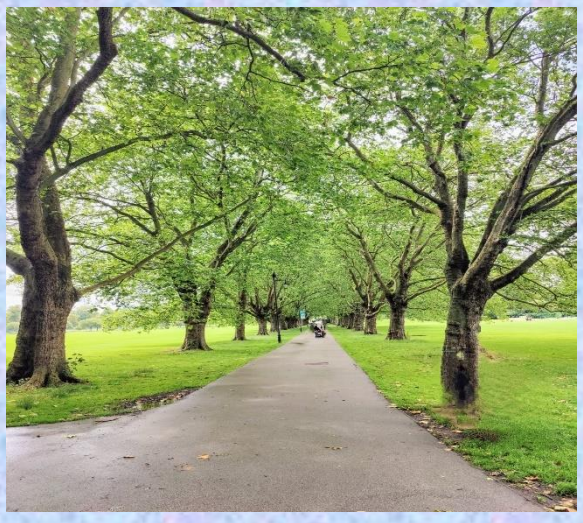

इस शहर से एक अलग ही तरह का चुंबकीय लगाव महसूस होता है क्योंकि इस शहर में दुनिया को अलग-अलग देशों से आए लोग बहु सांस्कृतिक समाज को इंगित करते हैं जो कि बहुत ही सद्भावना व भाईचारे के साथ रहते हैं। बड़े बड़े विभागीय स्टोर में हर प्रकार का जरूरत का सामान भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। चूंकि इस शहर में तीन प्रकार के यातायात के साधन हैं अपनी स्वयं की कार/साइकिल, टैक्सी तथा सरकारी बसें, अतः बहुत संख्या में लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं और पैदल चलने वालों का भी बहुत अधिक प्रतिशत नज़र आता है जिस कारण प्राकृतिक रूप से व्यायाम दैनिक दिनचर्या का हिस्सा स्वतः ही बन जाता है।

एक बात और जिस पर मैंने गौर किया कि यहां पर भीख मांगने वाले इक्का दुक्का ही नजर आते थे अर्थात इनकी संख्या नगण्य थी जो एक आश्चर्य का विषय भी था।

खैर, अंग्रेजों का व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक कार्यों का संपादन एवं मृदु भाषा में हर समस्या को सुलझाने की कला भी हमें हमारी पुरानी सनातन संस्कृति की याद दिलाती है। जिंदगी की इस गुफ्तगू को अब यहीं विराम देती हूँ। अगले सफरनामे के बारे में चर्चा अब दूसरे भाग में जारी रखेगें।

"अलविदा"

— डॉ. विभा सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

वक्ताओं की ताकत भाषा,
लेखक का अभिमान है भाषा,
भाषाओं के शीर्ष पर बैठी, मेरी प्यारी हिंदी भाषा।

कैम्ब्रिज

सफरनामा-रोचक यात्राओं का संस्मरण (भाग-2) - स्थान-डर्डल डोर, इंग्लैंड

प्रिय जिंदगी,

पिछले संस्मरण में आपसे कैम्ब्रिज शहर की खुशनुमा सैर का लुत्फ साझा किया था जो परिवार के साथ कुछ बेहतरीन समय ज़िंदगी के खुशगवार पन्नों का हिस्सा हमेशा के लिए बन गए।

चलो आज इस सफरनामे को और भी यादगार पलों के साथ जोड़ते हैं। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान एक बहुत ही अद्भुत जगह पर विचरण करने का मौका मिला। डर्डल डोर नामक एक जगह डोरसट जिले में लुलवर्थ के पास जुरासिक तट पर स्थित एक प्राकृतिक चूना पत्थर का आर्क है। यह स्थल एक यूनेस्को विश्व धरोहर है।

यह आर्क लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक काल में निर्मित हुआ था। डर्डल नाम पुराने अग्रेंज़ी शब्द थिर्ल से लिया गया है जिसका अर्थ है छेदना या बोर करना। यह आर्क लगभग 150 फीट (45 मीटर) ऊंचा और 120 फीट (36 मीटर) चौड़ा है।

डर्डल डोर एक सुंदर समुंद्र तट से घिरा हुआ है जिसमें बहुत ही साफ जल और आसपास के चट्टानों और चट्टान संरचनाओं के अद्भुत दृश्य हैं। डर्डल डोर लुलवर्थ एस्टेट (प्राइवेट) का हिस्सा है जिसका प्रबंधन वेल्डस परिवार द्वारा किया जाता है लेकिन यह जनता के लिए भी खुला है।

चूना पत्थर और चाक डर्डल डोर में बहुतायत में हैं। चूना पत्थर बैंड के पश्चिमी छोर पर कटाव के परिणामस्वरूप आर्क का निर्माण हुआ है।

किसी के लिए भी इस जगह तक पहुंचने के लिए अपने वाहन का होना अवश्यंभावी है हालांकि कुछ सरकारी बसें भी इस स्थल के लिए कुछ दूरी पर छोड़ते हैं किंतु उसके बाद इस स्थल तक जाने के लिए काफी ज्यादा पैदल यात्रा करनी पड़ती है। खैर, अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा कर खाने-पीने और बैठने के इंतज़ाम के साथ हमने डर्डल डोर, जो कि काफी नीचे समुंद्र स्थल पर है, तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। काफी पुरानी जगह होने के कारण पथरीला रास्ता काफी कटवादार है। फिर नीचे उतरने के लिए प्राकृतिक रूप से बनी पथरीली सीढ़ियों का प्रयोग करना

पड़ता है। आधे रास्ते को पार करने के बाद जो अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है, वो रास्ते की सारी थकान को उसी समय दूर कर देता है। नीलावदूर तक फैला अटलांटिक महासागर, जिसे अंग्रेज़ी चैनल के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ही मनमोहक दृश्य का निर्माण करता है। इस मार्ग पर सपोटर्स जूते पहन कर चलना अति आवश्यक है ताकि कदमों को संभाल कर रखा जा सके क्योंकि यदि फिसलने की नौबत आई तो पथरीला रास्ता काफी हानि पहुंचा सकता है। करीब करीब 200-250 सीढ़ियों की उतराई के बाद समुंद्र तट पर पहुंचे थे। दूर से समुंद्र तट रेतीला दिखाई दे रहा था लेकिन पहुंच कर देखा तो समुंद्र तट पर बहुत बारीक पत्थर/रोड़ी बिछी हुई थी जिससे इस तट के बहुत ही प्राचीन होने का एहसास हो रहा था।

इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर सभी सैलानी काफी खुश हो रहे थे। फिर फोटोग्राफी का सिलसिला

चालू हो गया। समुंद्र तट का चमकीला स्वच्छ व पारदर्शी नीला जल आंखों व आत्मा को तृप्ति प्रदान कर रहा था। सैलानियों व बच्चों का उत्साह वातावरण को और भी जीवंत बना रहा था। इस प्राचीन काल की धरोहर को देखने के लिए सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय यहां पर पंख लगा कर उड़ गया।

कुछ चुनिंदा तस्वीरें इस स्थान की साझा कर रही हूँ जिससे इसकी खूबसूरती व गरिमा का अदांज़ा लगाया जा सकता है। इसी जगह पर कुछ प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं भी हैं लेकिन समुंद्र तट तक पहुंचने की कवायद में इन गुफाओं की झलक भी नहीं ले पाए। कोई नहीं, जीवन में कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है और अगली बार फिर से उन्हीं पलों को जीने की प्रेरणा भी देता है।

ध्यान देने योग्य एक बात और थी कि अपने पुराने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी रखना और उन्हें अपने परिवार व बच्चों को भी अवगत कराना इस देश के लोग भलीभांति करते हैं। बाहरी गतिविधियों के बहाने अकसर इस देश में लोगों को अपने परिवार के साथ कार या बस के सफर करते हुए इन स्थलों को देखने का शौक काफी प्रचलित है लेकिन किसी भी जगह पर हमें गंदगी/कूड़े आदि का सामना नहीं करना पड़ा। देश के लोग अपनी आदतों में साफ-सफाई रखने में काफी सहयोग करते हैं।

चलिए, अब इस वार्तालाप को विराम देते हुए आपसे विदा लेती हूं। फिर कभी और भी यात्राओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेगें।

"अलविदा"

— डॉ. विभा सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सरलता और शीघ्र

सीखने योग्य भाषाओं

में हिंदी सर्वोपरि है।

माया की काया

न माया की कोई काया थी,
न काया की कोई माया थी,
न धरती थी, न सूरज था,
नहीं पूजने वाला कोई,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश को,
सुनसान आकाश गगन में,
कैसे जन्म हुआ तारों का,
ग्रहों का और नक्षत्रों का,
कैसे जन्म हुआ माया का,
अनुमान लगाता मानव है।

जन्म लेता है कोई,
या कूदती है आत्मा,
ज़िंदगी के समर में,
पहन लिबास जिस्म का,
फंस जाती वह दुनिया में,
एक जाल बिछा जो माया का,
कोई छोर न उसकी काया का।

युद्ध करती है निरंतर,
पार पाने के लिए,
काया-काया से टकराती,
काया-काया से करती प्रेम,
डूबा काया की माया में,
नहीं पार पा सकता कोई,
माया की अद्भुत काया से,
कितनी भी कोशिश कर ले,
मन नहीं निकलता माया से।

लिबास जिस्म का होता जर्जर,
देख खिन्न हो जाता मन,
समर और गहराता है,
माया की काया में मानव,
और उलझता जाता है,
देख छोर अंतिम, माया का,
मानव डर-सा जाता है,
मन ही से सारी माया,
या माया से उसका मन,
सोच नहीं वह पाता है।

नहीं जन्म से पहले था वो,
छोड़ उसे यहीं जाना है,
काया भी यहीं सब ने पाई,
ममता, मोह यहीं की माया,
नहीं किसी के जाता साथ।

एक बार मार जाने पर,
न रहती काया की माया,
न ही माया की काया,
रचा किसने यह मायाजाल,
नहीं देख सकता कोई,
बिना काया की आंखों के,
मायाजाल को सके काट,
आज़ाद सके कर दुनिया को,
काया में इतनी शक्ति नहीं,
आधार यही बस माया का,
माया की अद्भुत काया का।।

— श्री नागेश, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

विद्यार्थी का जीवन

जीवन की आपाधापी में,
मन मस्तिष्क घबराया है।
न जाने कहां से छाया,
घोर अशांति का साया है।

छात्र, युवा, वयस्क और प्रौढ़,
हर एक इस लहर में डूबा है।
प्रत्येक वर्ग का सामाजिक प्राणी,
इस आंधी से विचलित है।

व्यस्तता की उथल-पुथल में,
हम सब तनाव के आदी हुए।
विडंबना तो यह है कि,
मासूम बच्चे भी अब अवसादी हुए।

निश्छल मन और सरल बुद्धि,
कहां-कहां पर उलझ रही।
भटकाव, दुविधा और असंतोष,
की राह पकड़, पथभ्रष्ट हुई।

बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु,
अभिभावक ही पहल करें।
सात्विक साधनों को अपनाकर,
दिव्य मार्ग प्रशस्त करें।

विद्यार्थी जीवन के आयामों का,
अध्यापकगण भी मनन करें।
सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से,
तनाव-मुक्त जीवन शैली विकसित करें।
है स्वप्न ऊंचाईयां छूने का,
तो प्रयास भी भरसक करना होगा।

विकसित मानसिकता की खातिर,
योग, ध्यान और मनन से,
तन-मन अपना शुद्ध करेंगे।
खेलों के महत्व को समझकर,
शारीरिक स्वास्थ्य भी सबल करेंगे।

प्रौद्योगिकी का संतुलित प्रयोग भी,
शांत मन का आधार है।
सात्विक मन और सात्विक कर्म ही,
शांत जीवन का सार है।

हो मानसिक शांति यदि जीवन में,
तब हर एक कार्य संभव है।
हो बात स्वयं या राष्ट्र की,
तब हर एक मार्ग प्रशस्त है।

अब ठान लिया मिलकर हमने,
अवसादों में न जीना है।
ईश्वर की अद्भुत देन है जीवन,
शांत, सहज और सात्विक ही रहना है।

मिसाल कायम हो कुछ ऐसी,
नवपीढ़ी ऋणी-सी हो जाए।
आत्मिक शांति पाकर जीवन में,
नए आयामों को छू जाए।

स्वयं के धरातल से उठकर,
विश्व विजय का झंडा लहराएं।
प्रेम, शांति, सद्भावना के बाल पर,
एक अद्भुत इतिहास रच जाए।

विद्यार्थी जीवन ही आधार है,
इस नवीन विचारधारा का।
तथा, मानसिक स्वास्थ्य ही सार है,
विकसित भारत की विजय-गाथा का।

— कुमारी वर्तिका पाहुजा,
सुपुत्री श्री समीर पाहुजा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

हिंदी भाषा का सम्मान हो,
गुणों की खान है हिंदी,
हर भाषा में महान है हिंदी,
भारत की पहचान है हिंदी।

कुछ बातें

दोस्तों! ज़िंदगी में कुछ बातें होती हैं जो भूलना भी चाहें तो भूलती नहीं हैं। मन के किसी कोने में उनका अपना घर बन जाता है। अब दौर ऐसा है कि पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही। अब लोग खुद भी परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि अगला भी परेशान ही रहें। जबकि पहले के लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं थी। लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, बिन कहे ही बहुत सारी बातों को, परेशानियों को समझ लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अपितु यह उम्मीद ही न करें कि लोग किसी के दुख-दर्द को समझेंगे या आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ जानते हुए भी लोग अनजान बने रहते हैं। क्या करने से सबको खुशी मिलेगी? क्या आपके मन को बुरा लगेगा? इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। पहले लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी की उन्नति देखकर लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है। वे सोचते हैं कि उसकी उन्नति को कैसे रोकें। खुद अच्छे रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने के बजाय दूसरे के कामों में अड़ंगे लगाने का प्रयास करते हैं। अतः तैयारी ऐसे चुपचाप करो कि एक दिन कामयाबी ही शोर मचाए।

अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के बारे में लोगों को कुछ नहीं बताएं और न ही जानकारी दें। जब आप सतत प्रयास द्वारा धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो मिला हो उसकी कद्र करें और जो नहीं मिला, उसके लिए सब्र करें। यही जीवन की पहेली है। अतः हमेशा कर्तव्य करते हुए निश्चिंत रहे।

— श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक

निशानियां

ज़िंदगी के हर मोड़ पर
रह जाती हैं निशानियां।
कभी खत्म न होंगे
ये खुशी और गम।
कभी पूरे न होंगे
ये वादे और कसम।
ज़िंदगी के हर मोड़ पर
जब रखेंगे कदम।
मिलेंगे नित नए-नए भरम
किंतु रह जाएंगी ये निशानियां।
ज़िंदगी.....

ज़िंदगी का नाम ही
आना और जाना है।
कब, कहां, किसका
ठौर-ठिकाना है।
पतझड़ आते और जाते हैं
फिर वसंत को भी तो आना है।
यही दौर पुराना है
किंतु रह जाएंगी ये निशानियां।
ज़िंदगी.....

दर्द कैसा भी हो
आँख नम न करो।
रात अंधेरी सही
कोई गम न करो।
बीते लम्हों को पलट कर न आना है
स्थिर नहीं कुछ भी यही दौर पुराना है।
ज़िंदगी.....

रुक न, सब्र कर
धैर्य रख ए ज़िंदगी!
चलती नहीं यहां हर समय
किसी एक की बंदगी।
यह सफर बहुत पुराना है
बस आना और जाना है।
किंतु रह जाएंगी निशानियां
ज़िंदगी के हर मोड़ पर रह जाती हैं.....

— *श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक*

बेटी: एक आभा, एक आस

पलकों में सजती, वो सपनों की रानी,
दिल में बसती, जैसे चांद की कहानी।
माँ की मुस्कान, बापू का अभिमान,
बेटी है घर की, सजीव पहचान।

वो है चांदनी रातों का उजाला,
हर दुख में देती है, स्नेह का सहारा।
संघर्षों से लड़कर, वो बढ़ती है आगे,
सपनों को पूरा करने में, वो कभी न हारे।

कभी वो लोरी गाती, तो कभी गीत बन जाती,
घर के आंगन में, जैसे कली खिल जाती।
अपनी हँसी से, वो हर ग़म मिटा देती,
बेटी के आने से, खुशियां लौट आतीं।

दुनिया की नज़रें, कभी उसे कम आंकें,
पर वो जानती है, अपनी शक्ति, अपने मानक।
दृढ़ता से चलती, अपने पथ पर अडिग,
बेटी है वो, जो लिखेगी अपने भाग्य की लकीर।

वो फूल नहीं, जो मुरझा जाए,
वो आग है, जो हर बंधन जलाए।
अपने सपनों को पूरा करने की ठाने,
बेटी है वो, जो कभी न हारे।

नव दीप की तरह, जलती रहे,
हर मुश्किल में, वो खुद को निखारे।
बेटी है वो, जो जीवन की हर राह पर,
खुद को साबित करे, हर कदम पर।

हर सुबह की किरण में, वो चमकती है,
सपनों के आकाश में, वो उड़ान भरती है।
अपने पंखों से आसमान छूने का जज़्बा,
वो रखती है, दिल में एक सच्चा सपना।

वो है शक्ति, वो है साहस का सागर,
हर कठिनाई को पार करना उसका चरित्र।
जो कभी थकती नहीं, रुकती नहीं,
अपनी राह खुद बनाती, किसी की मोहताज नहीं।

संस्कारों का दीप जलाती, वो संस्कारों की थाती,
वो बेटी है, जो घर को स्वर्ग बना देती।
अपने प्यार से, हर मन को हरियाती,
वो है धरती की देवी, जो जीवन को सजाती।

जितनी बार गिरे, उतनी बार उठती,
वो बेटी है, जो अपने सपनों को कभी न छोड़ती।
हर मोड़ पर संघर्ष, हर कदम पर परीक्षा,
पर वो है अडिग, उसे पूरा है विश्वास।

कभी वो नन्हीं परी, कभी वो माँ दुर्गा,
अपने हर रूप में, वो लाए जीवन में रंग।
हर दर्द को सहती, पर मुस्कान न खोती,
वो है प्रेरणा, जो हर दिल में बसी होती।

समाज के हर बंधन को तोड़कर,
वो चलती है अपने संकल्प पर अडिग होकर।
हर लड़की के दिल में वो जज़्बा भरे,
कि वो खुद अपनी तकदीर लिखे।

बेटी है वो दीपक, जो अंधेरे को मिटाता,
हर ग़म को अपनी हिम्मत से हराता।
वो है समाज की नींव, वो है उसकी बुनियाद,
वो है वो सपने, जो हर आंख में पलता।

वो न तोड़े किसी का दिल, न कभी खुद टूटे,
हर रिश्ते को वो स्नेह की डोरी से जोड़े।
वो है वो आकाश, जिसमें हर तारा सजे,
वो है वो गीत, जो हर दिल में बजे।

हर परिस्थिति में वो मुस्कुराती है,
वो लड़की है, जो जीवन की कहानी गाती है।
अपनी राह खुद चुनती, अपने पंखों से उड़ान भरती,
वो बेटी है, जो जीवन को हर दिशा में नई रोशनी देती।

उसकी आंखों में बसा है सारा जहाँ,
उसके दिल में बसा है अपनों का सम्मान।
वो न डरे किसी से, न झुके कभी,
वो बेटी है, जो अपने पथ पर सदा आगे बढ़ती।

बेटी है वो नूर, जो जीवन में चमक लाए,
हर बिखरे रिश्ते को, अपनी मोहब्बत से सजाए।
वो है वो चांद, जो हर रात को रोशन करे,
वो है वो फूल, जो हर दिल में महक करे।

अपनी मुस्कान से हर दर्द मिटा देती,
वो है वो राग, जो हर सन्नाटे को गुनगुनाए।
उसकी हँसी से हर ग़म भाग जाए,
वो बेटी है, जो हर दुख में सुकून का पैगाम लाए।

हर कदम पर वो नया इतिहास लिखे,
अपने सपनों की ऊँचाइयों को छू ले।
वो है वो सितारा, जो कभी न टूटे,
वो है वो लहर, जो हर तट को छू ले।

हर बंदिश को तोड़कर, अपनी राह बनाए,
हर मुश्किल को पार कर, अपनी मंज़िल पाए।
वो बेटी है, जो हर दिल की धड़कन में बसे,
वो है वो सपना, जो हर आंख में जगे।

वो न केवल जीवन की किरण है, बल्कि उषा की छांव,
हर मुश्किल में जो देती है, सुख की सौगात।
हर दिल की धड़कन में बसी, हर सपने की आस,
वो है बेटी, जो बनाती है दुनिया को खास।

चाहे तूफान आए, या आंधी का संगम,
वो अपने हौसले से, हर बाधा को पार कर दे।
समाज के हर कोने में, हर दिल में बस जाए,
बेटी की महिमा को हर कोई समझ पाए।

हर कदम पर उसकी शक्ति का उजाला फैले,
हर दिल उसकी भव्यता से सज जाए।
वो है वो सितारा, जो रातों में चमकता,
वो है बेटी, जो हर दिल को जोड़ता।

हम सब की जिम्मेदारी है, उसकी अस्मिता का मान रखें,
हर कदम पर उसकी रक्षा करें, और उसका साथ निभाएं।
बेटी है जीवन की अमूल्य धरोहर,
उसकी महिमा को समझें, और उसे दें स्वर्णिम सहर।

वो है माँ की स्नेहधारा, बापू की आशा,
हर रिश्ते की मिठास, हर मन की तृप्ति।
वो है जीवन का गीत, जीवन की रागिनी,
बेटी है, हर दिल में बसी दिव्य रागिनी।

संगिनी हो या साहसिक योद्धा, हर रूप में सजे,
वो है बेटी, जो हर दिल में अमर रहे।
इस कविता का अंत, उसी की महिमा में है,
वो है बेटी, जो जीवन की सच्ची रोशनी में है।

— श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत माता के माथे पर
बिंदी का जो है स्थान
वही है हिंदी का सभी भाषाओं में स्थान।

स्कूटी-आज़ादी का प्रतीक

वैसे तो आजकल के समय में स्कूटी सीखना और सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, न ही लड़कों के लिए और न ही लड़कियों के लिए। लेकिन मेरे लिए तो बड़ी ही बात थी। क्योंकि मेरे परिवार की सभी लड़कियां सिर्फ घर तक ही सीमित रही हैं। और किसी ने कभी ज़िद भी नहीं की कि उन्हें कुछ अलग करना है या फिर ये कहे कि उन्हें कभी इस बात से आपत्ति नहीं हुई कि उन्हें घर के बेटों की तरह क्यों नहीं समझा जाता। लेकिन मुझे शुरू से ही लड़कियों के प्रति इस भेदभाव से दिक्कत थी।

मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी और महा-जिद्दी, हमेशा आपत्ति जताती थी कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं वो क्यों नहीं कर सकती। घर में कुछ लोग मुझे प्रेरित करते तो कुछ मुझे पीछे खींचते। मेरी लगभग सारी सहेलियां स्कूटी चलाना जानती थीं, बस मुझे ही स्कूटी चलाना नहीं आता था और मेरे पास स्कूटी थी भी नहीं।

आज से कुछ तीन-चार साल पहले मेरे जीजा जी ने स्कूटी खरीदी। मेरे जीजा जी सी.आर.पी.एफ. में हैं, वो जब छुट्टी पर आते थे तब स्कूटी उनके पास न होकर मेरे पास होती थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और स्कूटी सीख डाली। लेकिन इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मेरे घर में मेरे भाई और मेरे पापा ने मुझे स्कूटी सीखने में मेरी मदद नहीं की बल्कि उन्हें तो मेरे स्कूटी सीखने पर गुस्सा आता था। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरी सभी सहेलियों ने अपने पापा या भाई से ही स्कूटी चलाना सीखा था लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही था। मैंने अपनी सभी सहेलियों से स्कूटी सिखाने के लिए कहा लेकिन उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया। फिर मेरी एक सहेली ने मेरी मदद की और मुझे स्कूटी सिखाई। पहले तो उसने भी मना कर दिया था। लेकिन फिर उसका अपने ब्वॉयफ्रेंड से ब्रेक-अप हो गया तब उसने मुझे स्कूटी सिखाने के लिए कहा क्योंकि उसका कहीं मन नहीं लगता था। लेकिन खैर जो भी हुआ, अच्छा हुआ। कम-से-कम मैं स्कूटी चलाना तो सीख गई।

एक बार तो मैं एक रास्ते में स्कूटी से गिर गई जहां मेरे कई दोस्त रहते थे वो मेरा आज तक मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन मैंने उन्हें नज़र अंदाज़ कर दिया क्योंकि उस वक्त मैं स्कूटी सीख रही थी

और मेरे लिए वही सबसे ज़रूरी था। लेकिन आखिरकार मैंने स्कूटी चलाना सीख ही लिया और जो घर वाले मुझे स्कूटी चलाने से रोकते थे वही अपने काम बताने लगे। खैर कोई बात नहीं मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती थी इस बहाने। अभी भी जब मैं स्कूटी लेकर घर से निकलती हूँ तो मेरे पड़ोसी और आस-पास के रिश्तेदार मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने मेरी स्कूटी में पेट्रोल डलवाया है और मैं उसे बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अलावा और लड़कियां भी हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस तरह की परेशानियां देखी होंगी। शायद ये तो मेरी बहुत छोटी समस्या थी।

दुनिया में आज भी बहुत सी ऐसी जगह या गांव है जहां लड़कियों को आज भी बेड़ियों में रखा जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस स्थिति को स्वीकार करें और जो होता आया है आज तक उसे होने दें। अगर लोग इस तरह की ज्यादती करना अपना हक समझते हैं तो उसे रोकना हमारा हक है। किसी न किसी को इसे रोकने की शुरुआत करनी ही पड़ेगी चाहे वो कोई परिवार हो, समाज हो या गांव, किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी।

— *सुश्री संध्या, कनिष्ठ अनुवादक*

युद्ध और शांति: एक संवेदनशील द्वंद्व

युद्ध की लपटें जब धधकती हैं,
धरती को जलाकर दिलों को चीरती हैं।
हर धमाके की गूंज, हर चीख की आवाज़,
सपनों की दुनिया को, निराशा से भर देती है अंदाज़।

शस्त्रों की चुप्पी में झलकती थकावट की बात,
हंसी के दिन अब, दिखते जैसे स्वप्न की रात।
लाशों की खामोशी, उधड़े जीवन के निशान,
हर आंसू की जलन, बयां करती युद्ध का विकृत प्रमाण।

युद्ध के बाद बिखरे सपनों का दृश्य,
रक्तरंजित धरती, और वीरानियों का संघर्ष।
हर उम्मीद, हर आस, खो जाती है धुएं में,
वीरानियां और खामोशी छा जाती हैं जीवन के संवेग में।

शांति की बूंदें जैसे बहार की किरण,
शस्त्रों की चुप्पी में गूंजती सुख की सदा ध्वनि।
शांति के बिना हर प्रार्थना रहती अधूरी,
संघर्ष की धुंध में बस चुप्पी ही छा जाती है पूरी।

शांति की उपस्थिति में छुपी शक्ति अनमोल,
जो जोड़ती दिलों को, संजीवनी देती हर शोल।
हर मोर्चे के बाद, शांति का उपहार लहराता,
धरती को सुकून और जीवन को नई आशा प्रदान कर जाता।

युद्ध और शांति, जीवन के दो विपरीत रंग,
भावनाओं की गहराई और संघर्ष की सच्चाई संग।
शांति की छाँव में दिल को मिलता सुकून,
हर पीढ़ी को शांति की राह पर चलने की मिलती है धुन।

— सुश्री सृष्टि
(सुश्री शिक्षा वर्मा, लेखापरीक्षक की बहन)

पशु कल्याण क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

पशु कल्याण महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे जानवर हैं जो मनोरंजन, भोजन, चिकित्सा, फैशन, वैज्ञानिक प्रगति और विदेशी पालतू जानवरों के रूप में उपयोग किए जाने से पीड़ित हैं। प्रत्येक जानवर एक अच्छा जीवन पाने का हकदार है जहां वे निम्नलिखित 5 डोमेन के लाभों का आनंद लेते हैं।

पोषण - ऐसे कारक जिनमें पशु की पर्याप्त, संतुलित, विविध और स्वच्छ भोजन और पानी तक पहुंच शामिल है।

पर्यावरण - ऐसे कारक जो तापमान, स्थान, वायु, गंध, शोर और पूर्वानुमान के माध्यम से आराम प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य - ऐसे कारक जो अच्छे फिटनेस स्तर के साथ बीमारी, चोट, हानि की अनुपस्थिति के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को सक्षम बनाते हैं।

व्यवहार - ऐसे कारक जो संवेदी इनपुट, अन्वेषण, चारागाह, बंधन, खेलना, पीछे हटना और अन्य के माध्यम से विविध, नवीन और आकर्षक पर्यावरणीय चुनौतियाँ प्रदान करते हैं।

मानसिक स्थिति - पिछले चार कार्यात्मक डोमेन में सकारात्मक स्थितियों को प्रस्तुत करके, जानवर की मानसिक स्थिति को मुख्य रूप से सकारात्मक स्थितियों जैसे आनंद, आराम या जीवन शक्ति लाभ मिलना चाहिए, अपितु भय, निराशा, भूख, दर्द जैसी नकारात्मक स्थितियों को कम करना चाहिए।

जानवर मानव जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं क्योंकि कई प्रजातियां फर, भोजन और अन्य आवश्यक उत्पादों का उत्पादन करके विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं। अतः यह कहना सही होगा कि जानवर मानव जाति के सहकर्मी हैं, शोधकर्ताओं और किसानों के बीच एक आम राय है कि लोग हमेशा जानवरों द्वारा समाज में किए गए योगदान को मान्यता नहीं देते हैं। आंकड़ों के अनुसार, एक गाय प्रति वर्ष 5,000 लीटर से अधिक दूध पैदा करती है, जो संभवतः एक ही समय में कई लोगों के उपभोग के लिए पर्याप्त है। कई गायों को उस उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना पड़ता है क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती गर्भवती कर दिया जाता है और उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जितना संभव हो उतना लाभ प्राप्त करने के लिए लोग गायों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और वे भोजन उत्पादन में उनके योगदान के लिए जानवरों की सराहना भी नहीं करते हैं।

इसके अलावा, जानवर मानसिक रूप से विकृत लोगों जैसे कमज़ोर समूहों की मदद कर सकते हैं। मनुष्यों के संबंध में, जानवर विकलांगता या कुरूपता को नहीं समझते हैं, यही कारण है कि ये प्राणी किसी भी परिस्थिति में दूसरों से प्यार कर सकते हैं। इस प्रकार, घरेलू जानवर उन लोगों के लिए समाजीकरण का एक सकारात्मक माहौल प्रदान कर सकते हैं जिनके पास मनुष्यों के बीच मेलजोल करने का अवसर या इच्छा नहीं है। शोधकर्ताओ द्वारा समय-समय पर बताया गया कि जानवर छोटे बच्चों को सहानुभूति विकसित करने में भी मदद कर सकते हैं क्योंकि वे खुद को अपने पालतू जानवरों के स्थान पर रखकर दूसरों की ज़रूरतों को समझना सीख सकते हैं और जानवर लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो उनके लिए लोगों के समान अधिकार होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

अंततः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधिकारों को केवल मानव समाज का एक तत्व मानने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। मनुष्य और जानवर जीवित प्राणी हैं जो एक ही पृथ्वी पर निवास करते हैं और उन सभी को यहां समान अधिकार होने चाहिए। यह सर्वविदित है कि मानव के जन्म से बहुत पहले इस ग्रह पर विभिन्न जानवरों की प्रजातियां रहती थीं। ये तथ्य यह स्पष्ट नहीं करते कि एकमात्र प्रजाति जिसके पास कानूनी अधिकार होना चाहिए वह मनुष्य ही क्यों है। शोधकर्ताओ का तर्क है कि अधिकार "एक प्रजाति के सदस्यों तक सीमित नहीं होने चाहिए जो अधिकारों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं" । कई मायनों में, मनुष्य जानवर हैं, यही कारण है कि दोनों समूहों के पास समान या कम से कम समान अधिकार होने चाहिए।

— *श्रुति चुघ*
सुपुत्री श्री नवीन चुघ, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

परमेश्वर को सधन्यवाद

हे मेरे परमेश्वर,

कोई भी आवेदन नहीं किया था, किसी की भी सिफारिश नहीं थी, ऐसा कोई असामान्य कार्य भी नहीं है, फिर भी सिर के बालों से लेकर पैरों के अंगुठों तक 24 घंटों तक भगवान, तू रक्त प्रवाहित करता है, जीभ पर नियमित जलाभिषेक कर रहा है, निरंतर तू मेरा यह हृदय चला रहा है, चलने वाला न जाने कौन सा यंत्र तूने मुसमें यह फिट कर दिया है मेरे भगवान, पैरों के नाखूनों से लेकर सिर के बालों तक बिना रुकावट संदेश वहन करने वाली प्रणाली किस अदृश्य शक्ति से चल रही है कुछ भी समझ में नहीं आता, हड्डियों और मांस से बनने वाला रक्त कौन सा अद्वितीय आर्किटेक्चर है? इसका मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है।

हज़ारों मेगा पिक्सल वाले दो कैमरे दिन-रात सारे दृश्य दिखा रहे हैं। हजारों स्वादों को टेस्ट करने वाली जीभ, अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली त्वचा नाम की सेंसर प्रणाली और अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा करने वाली स्वर प्रणाली और उस फ्रीक्वेंसी को कोडिंग-डीकोडिंग करने वाले कान नामक यंत्र।

पचहत्तर प्रतिशत पानी से भरा शरीर रूपी टैंकर हज़ारों छेद होने के बावजूद कहीं पर भी लीक नहीं होता। स्टैंड के बिना भी मैं खड़ा रह सकता हूँ, गाड़ी के टायर भी घिस जाते हैं, पर पैर के तलवे कभी भी घिसते नहीं, ऐसी अद्भुत रचना है यह तेरा बनाया हुआ शरीर।

देखभाल, स्मृति, शक्ति, शांति ये सब भगवान तू ही देता है। तू ही अंदर बैठकर यह मेरा शरीर चला रहा है भगवान।

अद्भुत है ये सब, पूर्णतः अविश्वसनीय, ऐसे मेरे शरीर रूपी मशीन में हमेशा तू ही तो है, इसका अनुभव कराने वाली "आत्मा" भगवान तूने ऐसी कुछ मुझमें फिट कर दी है कि अब में तुझसे और क्या मांगू मेरे भगवान ऐसी सद्बुद्धि मुझे दे दे मेरे भगवान। तू ही ये सब संभालता है इसका अनुभव मुझे सदैव रहे, रोज़ हर पल कृतज्ञता से तेरा ऋणी होने का स्मरण, चिंतन हो, यही मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे मेरे परमेश्वर! तेरा कोटि -कोटि धन्यवाद है।

— श्री वेदप्रकाश खत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

माँ की गरिमा

माँ का प्यार है अनमोल निधि,
इसे सब स्वीकार करो।
ममता में है संचित सब सिद्धि,
इससे तुम न इंकार करो।

बालक को क्षुधित देखकर,
माँ अपना उदर न भर सकती।
उसका करुण क्रंदन सुनकर,
उसकी आत्मा भी है रोती।

माँ के आंचल की छाया में,
बालक कभी न मुरझा पाता।
माँ के निश्छल प्रेम के बल से,
रहता बालक मदमाता।

माँ का स्नेहिल आंचल,
देता बालक को सरसता।
दिन में देता मधुरता,
रात में यह देता शीतलता।

माँ की प्रेरक शक्ति से,
शिवाजी और राणा प्रताप बने।
माँ के कठोर अनुशासन से,
जग में कई वीर महान बने।

माँ की ममता की बहती सरिता,
कभी भी वीर विहीन न होती।
इसके प्रेम की चिरंतन धारा,
सब दुखों को हर लेती।

नारी जब जननी बनती,
तो वंश बेल की वृद्धि होती।
यदि कोई दुख का तमस आए,
तो उसकी ममता है हर लेती।

— श्रीमती सीमा सिंघल, सहायक पर्यवेक्षक

अपना लक्ष्य निर्धारित करो

अपना लक्ष्य निर्धारित करो,
मेहनत उस पुरजोर करो,

धीरज को सदा साथ रखना,
सफलता को तुम प्राप्त करो,

डगर कठिन इसको पाने की,
पर मन में अडिग विश्वास करो।

यूं ही सफलता नहीं मिलती,
कुछ त्याग और बलिदान करो।

जो भटकाए पथ से तुमको,
उनसे अपने को दूर करो।

जीवन चुनौतियों से भरा हुआ,
साहस कर उनसे संघर्ष करो।

आलस्य की बेड़ी पड़ी पांव में,
उससे खुद को आज़ाद करो।

पर्वत भी चिर जाता है,
यदि मांझी-सा संकल्प करो।

असफलताओं से हताश न होना,
उनसे कुछ प्रेरणा लिया करो।

अपना लक्ष्य निर्धारित करो।
मेहनत उस पुरजोर करो।

— *श्री तारकेश्वर ठाकुर, लेखापरीक्षक*

मौन आदर्श

धरती पर उगती हर सूरज की किरण,
संभालती है कई कहानियां, चुप्पी की धुन।
प्रेरणा का एक हल्का-सा इशारा,
जो छुपा रहता है, भीतर की बौद्धिक पनाह में।

वह पुरानी चेस की गोटियां,
जो समय की सरगर्मी से परे,
हर चाल में छुपी एक गहरी सीख,
हर मोड़ पर एक अदृश्य सहायता का हाथ।

जैसे प्राचीन वृक्ष की छांव,
जो किसी की उपस्थिति के बिना भी,
सर्दी की ठिठुरन और गर्मी की तपिश से बचाती है,
धैर्य की धरती पर एक अमूल्य ठौर है।

वो कभी अनकही बातें, जो वक्त के साथ खो जाती हैं,
फिर भी, जैसे बारिश की पहली बूंदें,
जो धरती को संजीवनी दे जाती हैं,
उसी तरह, उनकी मौन उपस्थिति जीवन को संजीवनी देती है।

अनकही आवाज़ों की मधुर गूंज,
जो दिन की धुन को संवारे,
आम शब्दों से परे, छुपे रहकर सिखाते हैं,
जीवन की सच्ची धारा को समझने की कला।

चांद की कोमल रोशनी के नीचे,
जो धरती को एक शांति की अनुभूति देती है,
वैसे ही, वह छवि जीवन की धूल में,
सत्य की राह पर चलती रहती है, सदा स्थिर।

यही है एक मौन आदर्श, हर पल की निःशब्द सहनशीलता,
सूरज की किरणों की छाँव और वृक्ष की ठंडी छाँव,
जो हर कठिन घड़ी में, एक साधारण से असाधारण,
बिना किसी शब्द के भी, हमें हमेशा जीने की कला सिखाते हैं।

— *श्री मनोज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी*

असफलता में सफलता

असफलता में सफलता खोज के कोशिश बेहतरीन करो....
हकीकत का इंतज़ार मत करो,
हार में मायूसी न ढूंढो तुम,
धार की मँझधार में नया-सा करो,
दर्द में बेदर्दी को समझो तुम।
असफलता में सफलता खोज के कोशिश बेहतरीन करो....

पुराने एहसास में श्वास भरो,
रक्त के कतरे में जीवन उपजाओ तुम,
रात की कालिमा में जुगुनू निखारो,
वक्त के बेवक्त होने की गहराई समझो तुम,
असफलता में सफलता खोज के कोशिश बेहतरीन करो....

नई उमंगों में रंग भरो,
कयामत की आग में पानी बरसाओ तुम,
ज़मीन के अपने हिस्से के किस्से से उभरो,
तकदीर में लियाकत का बीज बोओ तुम।
असफलता में सफलता खोज के कोशिश बेहतरीन करो....

— श्री हिमांशु सतोरिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सफर

लोग थे बिल्कुल सीधे-सादे,
चरित्रवान थे नेतागण,
ईमानदार थी नौकरशाही,
पत्रकार लिखते आज़ाद,
न्यायालय था बिल्कुल निष्पक्ष,
जब हम बिल्कुल बच्चे थे,
मन के बिल्कुल कच्चे थे,
पढ़ते नैतिकता की कहानी,
सत्य राह पर चलते थे,
दिन-रात पढ़ा हम करते थे,
चाहत में कोई काम मिले,
जीवन-यापन करने हेतु,
धन का कोई जायज़ स्रोत मिले।

मेहनत किस्मत से टकराई,
अंकेक्षण में ले आई,
चश्मे वही, आंखें वही,
पर नहीं रहा पहले-सा नज़रिया,
शक की नज़र से लगा देखने,
कागज़ को इंसानों को।

नहीं कभी सोचा था मैंने,
सफेद लिबास में घूमने वाले,
कर्म से होंगे बिल्कुल काले,
कहां सामर्थ्य सीधे-सादों में,
चमका पाएं कुर्ते-पाजामे,
जाता बीत है जीवन उनका,
रोटी-कपड़ा और मकान में,
कानून का पालन करने में।

अत्याचार झेलते वे बेचारे,
न्याय की आस लगाते रहते,
नहीं जानते अपनी ताकत,
संगठन और ईमानदारी।

पैसे की उनकी कमज़ोरी,
करती उनके मन को कमज़ोर,
बन जाते वे छोटे चोर,
नहीं जीत सकते कभी वो,
अरबों-खरबों के चोरों से।

छोटी चोरी करने वाले,
सज़ा काटते जेलों में,
बड़ी चोरी करने वाले,
मौज मनाते महलों में।

सब यही सोचते रहते हर पल,
जायज़ धन तो सीमित है,
औरों से आगे होने को,
ऊपर की कृपा ज़रूरी है,
लूट सको तो लूट लो,
जब तक रहे कृपा ऊपर की,
डरने की कोई बात नहीं,
नित्य करो पूजा प्रभु की,
किस्मत देगी साथ हमेशा।

जो कभी फूटती किस्मत है,
पकड़े जाते हैं दुष्कर्म,
पैसे दो पुलिस को, जज को,
वो नहीं दूध से धुले हुए,
लालच की गंदी नाली में,
पले और बड़े हुए,

पैसे को समझते लक्ष्मी,
जायज़ हो या नाजायज़,
इनकार नहीं कर पाएंगे,
सज़ा नहीं होने देंगे,
वफादार वे काले धन के।

बुद्धिमान और हिम्मत वाले,
कहलाएंगे सारे घूसखोर,
ईमान और सच्चाई पर,
हंसती दुनिया बेईमानों की,
कहती उनको बेवकूफ,
पर रोते सारे बेईमान,
जब होती चोरी उनके घर,
दिन-रात लगे रहते कोशिश में,
ईमानदारों की फौज मिले,
करे रखवाली उनके धन की,
जायज़ हो या नाजायज़।

उन्हें चाहिए लेखापरीक्षक,
सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण,
लोक हितार्थ हो जिनका मकसद,
बता सकें चोरों के नाम,
रोक सकें धन की बर्बादी,
जायज़ हो या नाजायज़।

बिना पक्ष, बिना दबाव के,
अंकेक्षक देते अपना प्रतिवेदन,
पकड़े जाते सारे चोर,
अंकेक्षण की होती जयकार,
ईमान और सच्चाई की,
होती पूजा चारों ओर।।

— *श्री नागेश, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी*

देश के आर्थिक विकास में जीवन बीमा का महत्व

भारत में जीवन बीमा की शुरुआत 100 वर्ष पहले हुई थी। हमारे देश में, जो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, बीमा की प्रमुखता को उतना व्यापक रूप से नहीं समझा जाता है, जितना समझा जाना चाहिए।

जीवन बीमा एक बीमा कंपनी और एक पॉलिसी धारक के बीच एक अनुबंध है। बीमाकर्ता एक या एक से अधिक नामित लाभार्थियों को एक राशि का भुगतान करने की गारंटी देता है। जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बदले में उनके जीवनकाल के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले यह पॉलिसी धारक के परिवार या व्यवसाय के वित्तीय भविष्य की रक्षा करने का एक तरीका है, जो पॉलिसी धारक की मृत्यु पर लाभार्थियों को एकमुश्त भुगतान करता है।

जीवन बीमा क्या है?

- जीवन बीमा एक अनुबंध है जो बीमित व्यक्ति (या नामांकित व्यक्ति) को बीमाकृत घटना के घटित होने पर एक राशि का भुगतान करने का वचन देता है।
- परिपक्वता की तारीख, या
- आवधिक अंतराल पर निर्दिष्ट तिथियां, या
- दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु, यदि यह पहले हो।
- अन्य बातों के अलावा, अनुबंध पॉलिसी धारक द्वारा बीमा कंपनी को समय-समय पर प्रीमियम के भुगतान का भी प्रावधान करता है। जीवन बीमा को सार्वभौमिक रूप से एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो 'जोखिम' को समाप्त करती है, अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता को प्रतिस्थापित करती है और कमाने वाले की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में परिवार को समय पर सहायता प्रदान करती है।
- कुल मिलाकर, जीवन बीमा, समाज में मृत्यु से उत्पन्न समस्याओं का आंशिक समाधान है। संक्षेप में, जीवन बीमा का संबंध दो खतरों से है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पथ पर आते हैं:
- एक आश्रित परिवार को अपने हाल पर छोड़कर समय से पहले मर जाना।
- बिना किसी प्रत्यक्ष सहारे के बुढापे तक जीवित रहना।

जीवन बीमा बनाम अन्य बचतें

सुरक्षा:

जीवन बीमा द्वारा की जाने वाली बचत बचतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर जोखिम के प्रति सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है, निधन की स्थिति में जीवन बीमा पूरी बीमित राशि का भुगतान (अधिलाभ, जहां अधिलाभ मिलते हैं) आश्वस्त कराती है जबकि दूसरी बचतों में सिर्फ बचत की राशि ब्याज सहित अदा की जाती है।

समृद्धि बढ़ाने में मदद:

जीवन बीमा समृद्धि को प्रोत्साहन देता है और यह दीर्घकालिक बचत का अवसर प्रदान करता है क्योंकि प्लान में निहित प्रीमियमों का भुगतान माहवार, तिमाही, छमाही या वार्षिक किस्तों में किया जाता है।

नकदी:

बीमा बचत के मामले में किसी ऐसी पॉलिसी की ज़मानत पर जो कर्ज़ मूल्य प्राप्त कर चुकी हो, कर्ज़ मिलना आसान होता है। इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी को व्यावसायिक कर्ज़ की ज़मानत के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।

कर राहत:

आयकर और संपत्ति कर कटौती से राहत के लिए भी जीवन बीमा सबसे उपयुक्त उपाय है। जीवन बीमा-प्रीमियम के रूप में अदा की जाने वाली राशि पर यह सुविधा उपलब्ध है, जो लागू आयकर दरों पर निर्भर करती है। करदाता कर कानून के प्रावधानों का लाभ उठाकर करों में रियायत पा सकता है। इस तरह के मामलों में बीमित व्यक्ति को दूसरी तरह के प्लान के मुकाबले छोटी प्रीमियम भरनी होती है।

ज़रूरत के समय पैसे:

उपयुक्त बीमा प्लान वाली पॉलिसी लेकर या कई अलग-अलग योजनाओं की समय वाली पॉलिसी लेकर समय-समय पर होने वाली पैसों की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, गृहस्थी शुरू करने या शादी के खर्चों या किसी खास समय में पैदा होने वाली मौद्रिक ज़रूरतों को पूरा करना इन पॉलिसियों की मदद से आसान हो जाता है। इसके विपरीत, पॉलिसी के पैसे व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर मकान बनवाने या दूसरे निवेशों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, पॉलिसी धारकों को मकान बनवाने या फ्लैट खरीदने के लिए कर्ज़ भी उपलब्ध कराया जाता है (हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें लागू होती हैं)।

कौन खरीद सकता है पॉलिसी?

कोई भी वयस्क स्त्री-पुरुष जो वैध अनुबंध कर सकता है, अपना और उनका बीमा करा सकता है जिनके साथ उनके बीमा कराने योग्य हित जुड़े हों। व्यक्ति अपने पति/पत्नी का भी बीमा करा सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। बीमा प्रस्तावों को स्वीकार करते समय निगम व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी आय और दूसरे प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है।

जीवन बीमा योजनाओं के प्रकार

- सावधि बीमा पॉलिसी: यदि पॉलिसी कवरेज सक्रिय रहने के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह आपके परिवार को एक निश्चित राशि का भुगतान करती है।
- संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी
- बाल बीमा पॉलिसी
- एनडाओमेंट पॉलिसी
- मनी-बैक पॉलिसी
- यूनिट लिंक्ड इन्श्योरेंस पॉलिसी (यूलिप)
- सेवानिवृत्ति पॉलिसी

इन्श्योरेंस खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

आज के समय में सही इन्श्योरेंस चुनना एक मुश्किल काम है, लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रख कर अपने लिए सही इन्श्योरेंस प्लान चुन सकते हैं।

1. सबसे पहले आपको ज़रूरतों की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आपको अपना इंश्योरेंस प्लान कितनी अवधि का और कितना कवर चाहिए।
2. आपको लाइफ और टर्म इंश्योरेंस प्लान आदि की तुलना करनी चाहिए कि कौन-सा प्लान आपको कम प्रीमियम में अधिक कवर दे रहा है।
3. कम प्रीमियम के लालच में आपको सबसे सस्ती पॉलिसी नहीं चुननी चाहए। आपको विशिष्टताओं की भी तुलना करनी चाहिए।

भारत की 10 शीर्ष जीवन बीमा कंपनियां

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
- एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
- बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
- भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
- केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

- मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।

देश के आर्थिक विकास में जीवन बीमा का महत्व

देश के आर्थिक विकास में जीवन बीमा का अत्यधिक महत्व है। जीवन बीमा एक वित्तीय सुरक्षा योजना है जो व्यक्तिगत और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को योजनाबद्ध बना सकता है और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। इसके अलावा, जीवन बीमा देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए, जीवन बीमा को अपनी आर्थिक योजनाओं में शामिल करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

— सुश्री श्रुति चुघ
सुपुत्री श्री नवीन चुघ, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

हिंदी है हर भारतीय की जान क्योंकि हिंदी में होता है हर काम आसान।

ज़िंदगी

रमा जब पहली बार ससुराल आई तो वहां के नियम-कायदे देखकर हैरान रह गई। भला ऐसा भी कोई कर सकता है, उसका पति, अच्छी तनख्वाह फिर भी वह औरों के हाथ का खिलौना बनकर रह गई थी। रमा जब भी देखती, उसका पति घर की सारी ज़िम्मेदारियों में लगा रहता। घर के सभी आर्थिक कार्य या कहें कि आर्थिक समझौते उसके ही पक्ष में आते। रमा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी जिसमें उसकी सास, एक देवर एवं देवरानी और तीन ननदें थीं। भले ही रमा का पति एक अच्छे पद पर आसीन था, लेकिन रमा को इससे क्या, उसे तो मौन रहने का इशारा मिलता गया और उस घर में एक मशीन जैसी हो गई। उसे बस काम ही काम करने को कहा जाता था। पति कोई बात ही नहीं करता, न ही पति से मतलब। उसकी सास का मानना था कि बेटा पत्नी से बात करेगा तो शायद घर की ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड लेगा, लेकिन यह भी कोई बात हुई। किसी जोड़े को ऐसी दकियानूसी सोच के लिए अलग करना ठीक था! जो माँ अपने ही बेटे का घर उजाड़ने पर तुली हो, उसे क्या कह सकते हैं। क्या ऐसी भी माएँ होती हैं जो केवल अपना ही स्वार्थ देखती हैं। जो भी हो, रमा की गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। समय का पहिया चलता रहा और सात वर्षों के बाद रमा को एक बेटा हुआ, प्रशांत । इसके बाद तो उसकी सास और ननदें तो और अधिक सतर्क हो गईं। रमा को बस रसोई घर में ही रहने के लिए ढूंढा जाता। समय के साथ उसके परिवार का आक्रोश रमा के ऊपर बढ़ता ही गया। वो कहते हैं न कि जब सहने की ताकत बढ़ जाती है तो कहने की ताकत भी बढ़ जाती है। आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए सदैव सच का सामना करते हुए जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ हमें ही उठानी चाहिए। रमा हर अत्याचार को सहती जाती है और लोगों का अत्याचार बढ़ता ही जाता है। होनी को जो मजबूर है, वह होकर ही रहेगा।

समय बड़ा बलवान होता है। धीरे-धीरे रमा का बेटा अपनी माँ की परेशानियों को देखते हुए बड़ा हो रहा था कि कैसे उसकी माँ को हर बात में नीचा दिखाया जा रहा था, वो भी इसलिए कि कहीं उसके पिता अपनी माँ के बजाय उसकी माँ को मालकिन न बना दें। उसके पिता की नज़रों में उसकी माँ की महत्ता न बढ़ जाए। कहीं न कहीं रमा का बेटा भी अपने पिता के प्यार की कमी महसूस कर रहा था। लेकिन कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि बिना कहे उसे बहुत कुछ सुनने को मिल जाता था। समय की गति के साथ जब रमा का बेटा अपनी युवावस्था में पहुंचा तो उसने ही अपनी बेजुबान माँ के बारे में कुछ करने के लिए सोचा। उसने जल्द ही किसी दूसरे शहर में नौकरी

के लिए आवेदन किया और उसकी मनचाही नौकरी भी लग गई। बहुत विद्रोह और तमाम परेशानियों के बाद वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए ले गया। वहां वह अपनी माँ की उम्र तो नहीं लौटा सकता था, लेकिन हाँ, माँ की बची हुई ज़िंदगी में रंग तो भर सकता था। यहां वह अपने हिसाब से उठ-बैठ सकती थी, अपनी पसंद का खा सकती थी और उन तमाम चीज़ों का, जिन्हें उनसे वंचित कर दिया गया था, वो सब उन्हें देने का प्रयास करता।

समय के साथ प्रशांत की दादी भी चल बसी। प्रशांत के पिता जी भी रिटायर हो चुके थे। चूंकि पेंशन तनख्वाह के हिसाब से कम थी, तब धीरे-धीरे बहनों का आना-जाना भी कम हो गया था। अब प्रशांत के पिता जी अकेलापन महसूस करते थे। प्रशांत के बार-बार कहने पर वे भी प्रशांत के साथ रहने लगे। समय के साथ प्रशांत के पिता को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और वे अपनी पत्नी को समय देने लगे और अपनी सभी पुरानी बातों के लिए ग्लानि करने लगे। ज़िंदगी के इस मोड़ पर समझ आ गया कि आज तक लोग उनसे क्यों जुड़े थे। प्रशांत यह सब देखकर खुश था कि चलो देर से ही सही, लेकिन उसके माँ-बाप साथ तो हैं।

— *श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक*

हिंदी ही एकमात्र भाषा है
जिसने भारत को एक सूत्र में पिरोए रखा है।

जीवन का अर्थ

जीवन, इसका मतलब क्या है?
हर दूसरे व्यक्ति के लिए,
जो आपके बगल में बैठा है,
इसका मतलब कुछ अलग है।

हम सभी एक ही धरती के हिस्से हैं,
लेकिन अलग-अलग पीढ़ियों के,
अलग-अलग विचारधाराओं के साथ,
अलग-अलग भूमिकाओं को निभाते हुए।

हम यह तय नहीं कर सकते,
किसके ऊँचे कितने बड़े हैं,
किसके निचले कितने छोटे हैं,
आखिरकार हम सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ओह! यह सच है।
दूसरी तरफ की घास हरी लगती है,
लेकिन हर किसी को अपने समय का
सामना करना पड़ता है,
बरसात और धूप के दिनों का सामना करना पड़ता है।

यह, वास्तव में संभव नहीं है,
बिना बुरे समय के अच्छे समय का होना,
बिना उदासी के खुशी का चेहरा,
विफलता के पतन के बिना सफलता की सीढ़ियां।

इसके सभी रंगों को देखने के बाद भी,
गहरे से हल्के तक,
हम यह नहीं कह सकते कि जीवन क्या है,
और इसका मतलब क्या है।

— सुश्री तनुप्रीत कौर
सुपुत्री श्री एम.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

स्त्री

नाम एक किरदार अनेक,
पर एक-एक करके सबको निभाती है।
अबला है, नारी है,
वनिता है, अनेकों नाम कहलाती है।

तुम हो देवी, माता, बहन, बेटी
घर की लक्ष्मी, घर की पोती।
तुम बिन सूना आंगन है,
तुम बिन सूना आंचल है।

हे ममतमयी, हे कुल की लक्ष्मी
तुम सबकी भाग्यविधाता हो।
तुम ही जननी, तुम ही प्राण प्रदाता हो
तेरी ममता से जग उजियारा है।

माँ, बहन, बेटी हर किरदार अनोखा है
तुम सबमें खरी हो यह व्यवहार अनोखा है।
अब बारी है तुम्हें अपने अस्तित्व को बचाने की
क्योंकि हर कदम पर धोखा ही धोखा है।

सहना है, रहना है, पर कुछ कहना भी है
कब तक चुप बैठें यहां,
आखिर एक हद में रहना भी है।
अपमान की वेदी पर,
मत चढ़ना तुम,
अपने ही स्वाभिमान में रहना तुम।

हर घर का गुरूर हो तुम
हर घर की लाज-शुरूर हो तुम।
तुमसे ही हर मकान घर बनता है
किरदार कुछ भी हो, पर तुम ही निर्भरता हो।
इस अनमोल पद को अच्छे-से निभाओ तुम
अपना अस्तित्व स्वयं बनाओ तुम।

कभी मत घबराना किसी मोड पर
होता है प्रहार ज़िंदगी के हर मोड पर।
सीता, द्रौपदी, मीरा आदि सभी ने
रीति निभाई है।
लेकिन कभी भी स्त्रीत्व पर
आंच न आई है।

फिर आज क्यों हम पीछे हटें
किरदारों को अपनी सुंदरता के मोती से गूँथें।
अब प्रण हमारा है यही
करेंगे पूरे कर्तव्य सभी
पर अपने आत्म सम्मान को न ठेस पहुंचाएंगे
किसी अवहेलना के लिए शीश न झुकाएंगे।

— *श्रीमती नेहा तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक*

मेहनत की महिमा

मेहनत की राह पर चलना है कठिन,
हर कदम पर छुपा है, संघर्ष का जिन।
मिट्टी में छुपी रहती है सोने की लकीर,
पर उसे खोजने के लिए, चाहिए कड़ी मेहनत की छाप।

आग के अंगारे पर चलने जैसा सफर,
हर दर्द को सहना, हर खड़ी मुश्किल से जूझना।
सपनों की ऊँचाइयों को छूने का जज्बा,
मेहनत की मेहनत से मिलती है सफलता का इनाम।

रात की नींद से निकल, सुबह की धूप में,
पसीने की बूँदें गिरीं, मेहनत के संग ठहरे।
हर गिरावट से सीख, हर हार से हौसला,
मिट्टी से सोना बनता, मेहनत के हौसले से चमकता।

हर चट्टान को तोड़ना, हर बाधा को पार करना,
सपनों को साकार करना, मेहनत से सफर तय करना।
हर वादा, हर आशा, हर संकल्प को पूरा करना,
मेहनत का नतीजा, सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचना।

सपनों की इस राह में, मेहनत ही है साथी,
हर मुश्किल में साथी, हर संघर्ष में हिम्मत।
मिट्टी में छुपा सोना, मेहनत की पहचान है,
हर काम की मेहनत, सफलता की किताब में अक्षर है।

सपनों की ऊँचाई पर, मेहनत का है आसमान,
हर दिल में बसी है, मेहनत की अनमोल जान।
मेहनत की महिमा को समझो, न कभी थको,
सपनों की ऊँचाई तक, मेहनत से पहुँचो।

— श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदी राष्ट्र भाषा कहलाएगी, हर भारतवासी के दिल पर केवल हिंदी छाएगी।

वृद्धावस्था: जीवन की चुप्पी

वृद्धावस्था, तुम्हारे चरणों में छुपा है,
हर लम्हे का अतीत, हर अनुभव की धारा।
जैसे समय की धूल से ढकी, एक पुरानी किताब,
जिसे पलटते हैं, पर पन्नों पर बसी हैं सिर्फ यादें, कभी मृदु, कभी करुण।

वृद्धावस्था, तुम हो जीवन की मंद लहरें,
चाहे कितनी भी कोशिशें की हों, न थमने वाली ये धड़कनें।
रात की ठंडी चुप्पी में बसी,
हर ख्वाब का अवशेष, हर सपना बेताब-सा रहता।

शारीरिक पीड़ा की अनदेखी चुप्पी,
हर जोड़ में बसी, एक अज्ञात थकान।
जैसे अंगों का थमना, एक चुप्पी का संकेत,
जो बोझिल कदमों के साथ, जीवन की कड़ी सच्चाई बयाँ करता है।

तुम्हारी आंखें, जो कभी चमकती थीं, अब धुंधली,
समय के साथ, अनुभव की गहराई में डूबी।
हर झुर्री में बसी, एक अनकही कहानी,
हर चेहरा एक पुराना साक्षी, हर मुस्कान की यादें अब जांचना हैं।

यादें लहराती हैं, बीते हुए दिनों की,
जैसे सागर की लहरों में, खोई हुई रेत की खोज।
वृद्धावस्था, तुम्हारी चुप्पी में बसी,
हर घड़ी की गहराई, हर मन की करुणा की गूंज।

तुम हो एक चुप्पी का गीत, जीवन की अंतिम संगिनी,
जो सिखाती है प्रेम की अमूल्यता और सहनशीलता की अमर धरोहर।

वृद्धावस्था, तुम्हारी राह पर बिछी है,
जीवन की थकी हुई सांसों की चुप्पी।
हर सुबह की पहली किरण के साथ,
तुम्हारे पंखों की झिझक, एक मंद होती लहर की तरह।
तुम हो वह पुराना चेहरा, जो समय की धूल में छिपा,
हर झुर्री में बसी, बीते दिनों की गहरी दास्तान।

कभी मुस्कान की उजास में, कभी आंसुओं की गहराई में,
तुम हो एक खामोश कहानी, जीवन की खिड़की पर थम गई छाया।
वक्त ने तुम्हें गढ़ा है, जैसे कुम्हार गढ़ता है मिट्टी को,
हर बारीक लकीर में छुपी है, जीवन की अनकही बातों की छाया।
तुम्हारी आंखों में, बीते कल की धुंधली तस्वीरें,
हर झपकी में छिपी, यादों की एक मूक श्रृंखला।

शारीरिक पीड़ा की ठंडी चुप्पी,
जैसे हर दर्द में छुपी हो एक दर्द भरी साजिश।
अंगों की थकावट में, हर लम्हा बसा एक सहनशील संघर्ष,
जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते, बावजूद हर बाधा की गहरी अनमोलता।

हर कदम पर महसूस होती है, उम्र की ढलान,
हर कदम पर बसा एक संघर्ष, जीवन की अनवरत धारा में।

यादें, जैसे मिट्टी में दफन पुराने खजाने,
बीते हुए दिनों की सौगात, खोई हुई रातों का साक्षी।
हर स्वर में बसी, एक मुरझाई हसरत,
जैसे एक अदृश्य गीत, जीवन के अंतिम प्रहर की मेज़बानी कर रहा हो।
तुम्हारी स्मृतियों में बसी, हर हँसी की गूँज,
जो अब गूंजती है, एक धुंधले संगीत की तरह।

फिर भी, तुम्हारी चुप्पी में, एक अदृश्य शक्ति है छुपी,
हर हड्डी में बसी एक चिरस्थायी कहानी।
वृद्धावस्था, तुम हो प्रेम की दास्तान,
एक अनकहा संगी, जो जीवन की सबसे सुंदर वाणी बनाता है।
तुम्हारी करुणा में बसी, हर प्यार की गहराई,
हर अनुभव में जीवन का अद्वितीय सौंदर्य।

तुम्हारी आँखों में बसी, वह चमक जो अब धूमिल है,
पर उसके पीछे छुपी है, जीवन की सच्चाई की गहराई।
हर पल की थकान में बसा एक अनमोल सुकून,
जो सिर्फ उम्र की ढलान पर ही मिलता है, जीवन की सबसे पवित्र धरोहर।
तुम हो वह पेड़, जो झुक गया है अपने भार से,
पर उसकी जड़ें अब भी गहरी हैं, और उसकी छाँव में मिलता है सुकून।

तुम हो वह कहानी, जो धीरे-धीरे खत्म हो रही है,
पर उसकी हर पंक्ति में बसा है जीवन का सार।
तुम्हारी हर सांस में छुपी है, एक अनमोल दुआ,
जो हर बीते दिन को संजो कर, आने वाले कल को आशीर्वाद देती है।
तुम्हारी मुस्कान में बसी है, वह मिठास जो अनुभव से आती है,
तुम हो वह दीपक, जो बुझने से पहले, सबसे अधिक प्रकाश देता है।

जैसे शाम की ठंडी बयार हो,
तुम्हारी उपस्थिति में हर बात में प्यार हो।
धीरे-धीरे समय के साथ झुकता शरीर,
पर दिल में बसी है अब भी, जीवन की उमंग की धार हो।
तुम हो वह अंतिम गान, जो समय से परे,
हर दिल में बसी, एक अमृत की बूंद हो।

हर झुकती हुई कमर में, बसी है एक कहानी,
जीवन के सफर में सीखे हर पाठ की निशानी।
तुम हो वह फूल, जो खिलता है देर से,
पर उसकी खुशबू, रहती है दिलों में सदा, बसी अमिट निशानी।
हर अनुभव में छुपा है एक अनमोल मोती,
जो जीवन को संवारता है, हर दुख में भी खोजता है खुशी।

तुम हो वह खामोशी, जो हर शब्द से गहरी,
तुम्हारी चुप्पी में छुपी है एक दुनिया, अनदेखी और अनजानी।
तुम हो वह समर्पण, जो हर रिश्ते में बसा,

तुम्हारी उपस्थिति में महसूस होती है, हर जीवन
की कहानी।
वृद्धावस्था, तुम हो वह अमूल्य धरोहर,
जो सिखाती है जीवन का सच्चा अर्थ, देती है
प्रेम की गहराई का बोध।

— श्री मनोज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

"देश को किसी संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है और वह (भारत में) केवल हिंदी ही हो सकती है।"

दृढ़ इच्छा-शक्ति

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति है। यह प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, बस उसे जागृत करने और विकसित करने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व का निर्माण ही इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। हुढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में मनुष्य के अन्य गुण जैसे ईमानदारी, योग्यता, साहस, परिश्रम व प्रतिभा आदि भी किसी काम के नहीं हैं। मनुष्य की उपलब्धियां उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करती हैं।

हम सबके जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब-कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में इच्छा शक्ति (will-power) ही आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करती है। इस शक्ति में दृढ़ निश्चय, आत्म-विश्वास, कार्य करने की अनवरत चेष्टा और अध्यवसाय आदि गुण आ जाते हैं जिसके बल पर विकट से विकट परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है।

कई बार हम देखते हैं कि एक मज़दूर का बेटा भी आईएएस परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करता है या एम.बी.बी.एस. में चुना जाता है। हम उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो हमें निश्चित साधनों के बिना असंभव सा लगता है। हम भूल जाते हैं कि यह महान प्राप्ति केवल दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण संभव हुई। टेलीविज़न पर (कौन बनेगा करोड़पति) एपिसोड में भी केवल वही व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं जिनमें प्रबल इच्छा-शक्ति होती है क्योंकि उसमें केवल प्रवेश पाने के लिए उनकी इतने वर्ष की मेहनत तथा प्रबल इच्छा-शक्ति है।

वयस्क होने पर हम स्वयं अपनी आदतों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। सबसे पहले हमें तुरंत निश्चय करने तथा लक्ष्प चुनने की आदत डालनी चाहिए। जब हमारे सामने दो या दो से अधिक रास्ते हों तो हमें उनके बीच में लटके नहीं रहना चाहिए, या तो स्वयं या अपने किसी अंतरंग मित्र या रिश्तेदार से सलाह लेकर निश्चय कर लेना चाहिए। किसी भी पक्ष को ग्रहण करने से पूर्व हमें दोनों के फायदों व नुकसानों को कागज़ पर लिख लेना चाहिए। बाद में दोनों की तुलना करने पर जो उपयोगी लगे, उसी को अपनाना चाहिए। इससे इच्छा-शक्ति को भी बल मिलता है। नए शोध में यह बताया गया है कि कामयाबी पाने के लिए दमदार इच्छा-शक्ति के साथ ही बनाई गई रणनीतियां भी अहम हैं जो हमें मंज़िल की ओर ले जाती हैं।

दृढ़ इच्छा-शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा डर और दुश्चिंता से उत्पना होती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को इन कुप्रभावों से बचाना चाहिए। डर पराधीनता का सूचक है, इच्छा की दृढ़ता से

स्वतंत्रता' का बोध होता है। जब बच्चों को हर प्रकार से भयग्रस्त रखा जाता है तो उनमें दबने की आदत उत्पन्न हो जाती है। वे दूसरों की इच्छा के आगे झुकने लगते हैं और उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है। इसी प्रकार चिंता मन में अस्थिरता और भ्रम पैदा करती है और मनुष्य किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। दुश्चिंता का मूल कारण है बालक की शक्ति व सफलता के बीच समन्वय न होना। जहां तक संभव हो, बालक को कोई भी ऐसा कठिन कार्य करने के लिए नहीं देना चाहिए जिसे पूरा करने में वह सवथा असमर्थ हो, उसकी शक्ति अपर्याप्त हो। घर में अभाव की स्थिति, गृह-कलह और अनैतिकता का वातावरण भी बालकों के मन में अंतद्वंद्व पैदा करता है और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को निर्बल बना देता है।

इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए व्यक्ति को अच्छी संगति में रहना अनिवार्य है। आप यदि महान गणितज्ञ बनना चाहते हैं और आपके संगी-साथी गणित में रुचि नहीं रखते हैं तो आप निश्चय ही हतोत्साहित हो जाएंगे। परंतु जब आप पारंगत गणितज्ञों की संगत में रहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति को उससे बल मिलता है। आप सोचते हैं कि यदि दूसरे लोग इसे कर सकते हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूँ।

मान लीजिए कि आप डाइट कंट्रोल पर हो ताकि अपने वज़न को नियंत्रित रख सकें। ऐसे में आपकी सबसे प्रिय चीज़ खाने के लिए सामने रखी जाए, परंतु आप उसे देखने के बाद भी खुद पर काबू पा लेंगे और नहीं खाएंगे। यह तभी होगा जब आपके अंदर की इच्छा शक्ति आपको ऐसा करने की मज़बूती देगी।

इच्छा शक्ति को मज़बूत बनाने के लिए सबसे पहले तनाव के स्तर का प्रबंधन करने की ज़रूरत है, ऊर्जा को सकारात्मक तथा सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। उत्साह, सकारात्मक विचार, व्यवहार एवं आत्म-अनुशासन व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। स्वयं के प्रति ईमानदार बनकर खुद पर पूरा विश्वास रखना तथा आलस्य को त्यागना चाहिए तथा सही पोषण, योग और व्यायाम से भी इच्छा शक्ति को बल मिलता है। इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिए रोज़ कम से कम 10 मिनट ध्यान करना भी बहुत बढ़िया रहता है।

बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर नामक गांव के दशरथ मांझी ने प्रबल इच्छा शक्ति का एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया था। गरीब दशरथ मांझी की पत्नी का 1959 में केवल इसलिए निधन हो गया क्योंकि वह अपनी बीमार पत्नी को अपने गांव से गया शहर तक समय से नहीं पहुंचा सका। वास्तव में उसके गांव व शहर के बीच एक पत्थर का पहाड़ था। मांझी की पत्नी ने अस्पताल

पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद मांझी में रास्ते में खड़े उस पहाड़ को अकेले ही तोड़ना शुरू कर दिया और 22 वर्षों तक की गई लगातार मेहनत के बाद, उस 70 कि.मी. की दूरी को उसने मात्र 15 कि.मी. के रास्ते में बदल दिया।

इच्छा, निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब इच्छा शक्ति मज़बूत होने के कारण ही हुए हैं जैसे बल्ब, रेडियो, टेलीविज़न, एलईडी, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि का आविष्कार। आप भी इच्छा शक्ति का महत्व समझकर अपने जीवन में एक बहुत सफल इंसान बन सकते हैं।

— *श्रीमती मीनू मल्होत्रा, सहायक पर्यवेक्षक*

हिंदी है भारत की आशा और हिंदी है भारत की भाषा।

श्रेष्ठ भाषा हिंदी

जन-जन की जान है हिंदी
देश का गौरव गान है हिंदी
हम सब की पहचान है हिंदी
सुंदर, सरल भाषा है हिंदी
भारत माँ के माथे की बिंदी है हिंदी
हमारी आन-बान और शान है हिंदी
सभी भाषाओं की बहन है हिंदी
हिंद वतन की शान
हिंदी से है रोशन कविता, लेखक का अभिमान है
हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जुबान
हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, हम सबका स्वाभिमान
हिंद देश की हिंदी, हिंदुस्तान की हिंदी
अपने भावों को व्यक्त करने का सरल मार्ग है हिंदी
आपकी भी है हिंदी, मेरी भी है हिंदी
हम सबकी जान है हिंदी।

— श्रीमती टीना आनंद गिरधर, डी.ई.ओ.

रोज़ टहलना

मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं परंतु इन सबसे अलग मन व शरीर को ऊर्जावान, फिट और चुस्त बनाए रखने में सुबह-शाम का टहलना/पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन वॉक पर जाना सबसे आसान और उपयोगी व्यायाम है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

आम तौर पर गर्मियों में सुबह 5-6 बजे और सर्दियों में 7-8 बजे का समय टहलने के लिए अच्छा माना जाता है। सुबह का वातावरण शांत होता है और इसमें चलने का अलग ही आनंद आता है। शुरूआत में जल्दी उठने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर आती है पर धीरे-धीरे हम इसके आदी हो जाते हैं। इसके अलावा शाम की सैर भी शरीर को फिट रखती है। सर्दियों में खास तौर से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है जिस कारण शाम के समय को बेहतर माना जाता है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो भी वक्त मिलने पर या दोपहर के खाने के बाद टहल सकते हैं। कार्यालय में अगर संभव हो तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग भी कर सकते हैं। इन सबसे आपको न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक लाभ भी मिलेगा।

सुबह वॉक करने से शरीर को पर्याप्त विटामिन-डी मिलता है जो हड्डियों को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सुबह की धूप शरीर पर पड़ने से शरीर की मालिश हो जाती है। आर्थ्राइटिस, वज़न अधिक होने से घुटने में परेशानी भी प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा टहलने से दूर हो जाती है।

शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से हृदय-रोग और रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है लेकिन यदि आप हर रोज़ वॉक करते हैं तो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है जो शरीर के लिए फायदेमंद भी है।

अगर आप डायबिटीज़ के शिकार नहीं बनना चाहते तो रोज़ाना सुबह-शाम टहलने की आदत डालें। यदि डायबिटीज़ है तो भी प्रतिदिन वॉक करके इसके खतरे को कम किया जा सकता है। हर रोज़ पैदल चलने से पाचन में सुधार होता है। इससे ग्लूकोज़ को पचाने और ब्लड में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से ब्लड शुगर के स्तर को कम किया जा सकता है।

रोज़ टहलने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। चलने से शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, खाना सही तरीके से पचता है और भोजन के सभी पोषक तत्वों का अवशोषण भी अच्छी तरह होता है जिससे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है।

टहलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह मूड को बूस्ट करता है और मन से कई तरह के दबावों को कम करता है। प्रकृति के बीच चंद मिनट वॉक करने से मन की बेचैनी, परेशानी कम हो जाती है। इससे हाथ, पैर और मस्तिष्क में रक्त संचरण की गति में तीव्रता आती है। व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ अनुभव करता है। इससे आचार-विचार, जीवन-शैली एवं संवेदनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

जैसा कि कहा जाता है कि 'अति हर चीज़ की बुरी होती है', चलने जैसा आसान काम भी अगर बहुत अधिक किया जाए तो शारीरिक तनाव और परेशानी का कारण बन सकता है। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए चलने से संबंधित अत्यधिक प्रेशर के संकेतों को पहचानना ज़रूरी हो जाता है। यदि आपका पोस्चर खराब है या कोर मसल्स कमजोर हैं तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द या मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। कई लोग शुरूआत में ही 30 से 45 मिनट तक वॉक करना आरंभ कर देते हैं। अत्यधिक चलने से शुरूआत में पैरों में दर्द खासकर एड़ी, टखने व पंजे में सूजन, पिंडलियों में दर्द हो सकता है या छाले हो जाना एक नियमित समस्या है। यह अक्सर उन लोगों में आम होता है जो अचानक से ज्यादा चलने लगते हैं, चप्पल डाल कर चलते हैं या फिर तेज़ स्पीड से चलने लगते हैं।

अतः हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही पैदल चलें, शुरूआत में ज्यादा देर तक न चलें, हमेशा हलके वज़न वाले जूते पहन कर टहलें और टहलते समय अपने पोस्चर का विशेष ख्याल रखें।

— *श्रीमती मीनू मल्होत्रा, सहायक पर्यवेक्षक*

धात्विक लड़कियां

राजस्थान में, जिसे 'राजाओं की भूमि' कहा जाता है, एक छोटा-सा गांव था। एक तरफ, एक शहर दिखाता था कि अगर मौका दिया जाए तो कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ, गांव की एक परंपरा थी, जो इसके विपरीत थी।

एक दिन, रिनी और टीना स्कूल से वापस आ रही थीं। जब वे घर पहुंचीं तो उन्होंने देखा और हैरान होकर रिनी ने टीना से पूछा, "यह सारी सजावट किस लिए की गई है?"

"मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है! चलो और अम्मा से पूछते हैं," टीना ने उलझन में जवाब दिया।

टीना ने जल्दी से अपना बैग गिराया और सीधे कुएं की ओर दौड़ी, जहां उसकी मां कपड़े धो रही थीं। "अम्मा, गांव को क्यों सजाया गया है," टीना हांफते हुए बोली, "जबकि कोई त्योहार नहीं है?"

उसकी मां ने धीमे से जवाब दिया, "आज रिनी की शादी हो रही है," और इसके बारे में चुप रहने को कहा, बिना यह समझे कि रिनी ठीक टीना के पीछे खड़ी थी। जब टीना पीछे मुड़ी तो रिनी ने अविश्वास में हांफ लिया। पलक झपकते ही, रिनी की मां पीछे से आईं, रिनी का हाथ पकड़कर उसे ले गईं।

सूर्यास्त के बाद, सभी तैयार हो गए और उत्सव की लहर ने रिनी के सभी सपनों को मिटा दिया, जो उसने कभी सोचे थे। टीना ही अकेली थी जो रिनी की भावनाओं के तूफान और अंतहीन विचारों को समझ सकती थी। टीना के विपरीत, रिनी हमेशा पढ़ाई के प्रति उत्साही थी और एक सफल व्यवसायी बनना चाहती थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते, वह रिनी के सभी सपनों को घर के कामों में खोते हुए नहीं देख सकती थी।

बिना ध्यान दिए, टीना सीधे वहां पहुंची, जहां रिनी बैठी थी। कमरा महिलाओं से भरा हुआ था, जो मधुमक्खियों की तरह गुनगुना रही थीं। टीना ने रिनी को दूसरे कमरे में खींचा और कहा, "रिनी, समय बर्बाद मत करो! सब कुछ उतारो और यह पैसे ले लो।"

"लेकिन! टीना . . ."

"हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, रिनी। तुम्हें भागना होगा। चिंता मत करो! मैं यहां सब संभाल लूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि घूंघट के नीचे मैं थी। तुम बस जाओ और वह ज़िंदगी जियो जिसका तुमने सपना देखा था।"

रिनी टीना की आंखों में देख सकती थी, जो स्नेह और प्यार से भरी हुई थीं। वह अपनी ज़िंदगी, सपनों और सब कुछ त्यागने वाली थी ताकि रिनी की मदद कर सके। रिनी ने खुद से सवाल किया कि क्या वह वही काम करती अगर वह टीना की जगह होती। वह इसका जवाब नहीं दे सकी। लेकिन, टीना बिना किसी दूसरे विचार के सब कुछ त्यागने को तैयार थी।

रिनी मुस्कुराई और टीना को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन एक के बलिदान के और दूसरी की उम्मीद के। इस तरह, दोनों ने दिखाया कि दोस्ती कितनी मज़बूत होती है और मूर्खों पर हंसती है।

— सुश्री तनुप्रीत कौर
सुपुत्री श्री एम.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

हिंदुस्तान की शान है हिंदी,
हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी,
एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी,
हर दिल का अरमान है हिंदी।

भारत में लोकतंत्र

"लोकतंत्र शासन प्रणाली का वह स्वरूप है जिसमें कानून, नीतियां और नेतृत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा तय किए जाते हैं।"

लोकतंत्र के संबंध में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है, "लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है।"

लोकतंत्र चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है-

- बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया
- कानून के समक्ष समानता
- कानून की उचित प्रक्रिया

<u>लोकतंत्र की शुरूआत</u>

5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस, यूनान (ग्रीस) में पहला लोकतंत्र बनाने का श्रेय प्राचीन यूनानियों को दिया जाता है। यूनानी नेता क्लीसथनीज़ एथेनियन लोकतंत्र के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें एथेनियन लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है।

507 ईसा पूर्व में, क्लीसथनीज़ ने एथेंस में सरकार का एक नया रूप पेश किया जो 'डेमोक्रेशिया' कहलाता था। 'डेमोक्रेशिया' यूनानी (ग्रीक) शब्द 'डेमोस' तथा 'केशिया' से मिलकर बना है। डेमोस' का अर्थ होता है 'लोग' और 'क्रेशिया' का अर्थ है 'शासन या सत्ता'। 'डेमोक्रेसी' शब्द की उत्पत्ति इसी यूनानी शब्द 'डेमोक्रेशिया' से हुई है जिसका अर्थ है "लोगों का शासन/सत्ता"।

<u>भारत में लोकतंत्र का इतिहास</u>

भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन है। वैदिक युग (6000 ईसा पूर्व - 1100 ईसा पूर्व) में सार्वजनिक भागीदारी होती थी। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सभा, समिति तथा संसद जैसे निकायों का उल्लेख मिलता है। ये निकाय वर्तमान शासन व्यवस्था में भी कार्यरत हैं।

महाकाव्यों यथा रामायण और महाभारत में भी लोगों के कल्याण हेतु सुशासन, धर्म, आचार एवं नैतिकता पर विशेष ज़ोर था। जैसा कि राम के सर्वसम्मति से राजा के रूप में चयन किया जाना तथा भीष्म पितामह द्वारा युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर को सलाह दिया जाना लोकतांत्रिक सोच को दर्शाता है।

अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ में भी निगम, जनपद जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो वर्तमान शासन प्रणाली में भी हैं।

भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन अवधारणा की पुष्टि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र (शासन ग्रंथ) से भी होती है। कौटिल्य ने अपने इस ग्रंथ में लिखा है - "शासक की खुशी और कल्याण लोगों की भलाई पर निर्भर करता है जो भारत की सेवा करने के स्थायी लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतीक है, न कि शासन करने का।"

मौर्य शासक सम्राट अशोक (265-238 ईसा पूर्व) ने कलिंगा (वर्तमान ओडिशा) की रक्तरंजित जीत हासिल करने के बाद ऐसे शासन की स्थापना की जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष में मंत्री स्तरीय चुनाव के माध्यम से शांति एवं कल्याण हेतु नीतियां बनाता था। अशोक के आदर्श लोकतंत्र के प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंकित हैं।

मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी (1630- 1680 ई०) भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्षधर थे। उन्होंने अपने आज्ञा-पत्र में लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए थे जो आगे भी उनके उत्तराधिकारी द्वारा कायम रखा गया था।

भारत की आज़ादी से पूर्व देश कई रियासतों में बंटा हुआ था। राजा-रजवाड़े हुआ करते थे। यद्यपि लोगों की सुरक्षा, कल्याण, न्याय आदि की व्यवस्थाएं थीं परंतु ये राजा के विवेक/दया/अनुकंपा पर निर्भर थीं। निरंकुशता/क्रूरता भी थी। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा के पास था जो पूर्ण रूप से उसके विवेक पर निर्भर होता था। लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था।

<u>आधुनिक भारत में लोकतंत्र</u>

आधुनिक भारत के लोकतंत्र की शुरुआत 1947 में ब्रिटिश शासन से देश को मिली आज़ादी से होती है। ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के पश्चात् स्वशासन हेतु एक संगठित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हेतु संविधान के रूप में एक लिखित कानून के निमार्ण की आवश्यकता महसूस की गई। संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया था (9 दिसंबर 1946) जिसके सदस्य भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव के माध्यम से चुने गए थे। संविधान सभा में कई समितियां बनाई गई थीं जिनमें से एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० भीम राव अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के सतत प्रयास के पश्चात् आज़ाद भारत को कानून की पुस्तक के रूप में एक पवित्र शासन पुस्तक "भारत का संविधान" हांसिल हुआ जिसे आज़ाद भारत के लोगों द्वारा अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को विधिवत् रूप से लागू किया गया। तत्पश्चात् भारत में एक व्यवस्थित, संगठित एवं संस्थागत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत विश्व का सबसे विस्तृत, लिखित संविधान वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

भारत में लोकतंत्र का संवैधानिक प्रावधान

संवैधानिक रूप से भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत के पास अपना स्वतंत्र अधिकार/शक्ति है, इस पर किसी अन्य देश का प्रभुत्व नहीं है और देश पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने मामलों से निपटने और संचालन के लिए स्वयं सक्षम है। प्रस्तावना भारत के हर व्यक्ति को सामाजिक व धार्मिक संरक्षण प्रदान करती है।

चुनाव आयोजित कर देश में एक लोकतांत्रिक व संविधान सम्मत सरकार बनाने में उत्तरदायित्व का निवर्हन करना है। चुनाव आयोग संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत में चुनाव प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार बनाने में भाग नहीं लेती है अपितु अपने प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष रूप से मतदान के माध्यम से चयन करती है। चयनित जन-प्रतिनिधि सरकार के गठन में भाग लेता है तथा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि के चुनाव में देश के हर उस नागरिक को जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का है, मतदान करने का अधिकार दिया गया है। मतदान के इस अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है।

लोकतंत्र में एक सरकार का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार एक चुनी हुई सरकार का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है ताकि सरकार के निरंकुश/उदासीन होने पर आवधिक चुनावी प्रक्रिया से सरकार को सत्ताविहीन करने तथा वैकल्पिक सरकार के चयन की शक्ति जनता के पास हो। और यह प्रावधान बतलाता है कि लोकतंत्र में सत्ता विरासत में नहीं मिलती।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान में 22 भागों के अंतर्गत 395 अनुच्छेदों में शासन संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त पृथक रूप से 12 अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं।

चूंकि औपनिवेशिक काल में लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता छीन ली गई थी अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय स्वतंत्र भारत के लोगों को उनका अधिकार बहाल करने हेतु संविधान के भाग-III अनुच्छेद 12 से 35 में विशेष प्रावधान किए जो "संवैधानिक मौलिक अधिकार" कहे जाते हैं। ये अधिकार हैं- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। लोगों को मिले ये अधिकार ही लोकतंत्र का एहसास दिलाते हैं।

लोकतंत्र की मज़बूती के लिए यह आवश्यक है कि सत्तारूढ़ सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई बहुमत प्राप्त दल की सरकार हो। इस बाबत संविधान में राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324 से 329) का प्रावधान किया गया है जिसका मुख्य कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना है। आज़ाद भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ था तथा एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, यूं कहें कि पहली बार सरकार लोगों के वोट से बनी। इस चुनाव को दुनिया के लोकतंत्र में सबसे बड़े प्रयोग में से एक माना गया था।

<u>भारत के लोकतंत्र में सरकार का स्वरूप</u>

भारत में शासन व्यवस्था का संघीय व संसदीय स्वरूप है। संघीय स्वरूप होने का मतलब केंद्र में केंद्र की सरकार और राज्य में राज्य की सरकार। संसदीय प्रणाली होने का मतलब है संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार तथा संसद के दो सदनों - "उच्च सदन (राज्य सभा) और "निम्न सदन (लोक सभा)"। राष्ट्रपति देश का अधिकारी प्रमुख होता है जिसका चुनाव राज्य सभा के सदस्य, लोक सभा के चयनित सदस्य और राज्यों के विधान सभा के चयनित सदस्यों के निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि संसद के निम्न सदन अर्थात् लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलन में है। अतः चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सरकार के गठन हेतु राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है। सरकार गठित होने के पश्चात् सत्तारुढ दल/सत्तारुढ़ गठबंधन दल (सरकार) को एक निश्चित समयावधि में बहुमत साबित करना होता है जो "विश्वास प्रस्ताव" कहलाता है। विश्वास प्रस्ताव दर्शाता है कि जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि का सरकार में विश्वास है या नहीं, सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं। यह विश्वास मत की सफलता/असफलता जनप्रतिनिधि के विवेकाधीन है।

भारतीय लोकतंत्र में सरकार का कार्य कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून पालन करवाना है। इन कार्यों के निर्वहन हेतु सरकार की तीन शाखाएं हैं - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका द्वारा शासन हेतु कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका बनाए गए कानून को संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लागू करती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और न्यायपालिका लागू कानून का पालन करवाती है।

<u>भारत में लोकतंत्र का न्यायिक प्रहरी</u>

भारत में लोकतंत्र की मज़बूती तथा संविधान के संरक्षण हेतु संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों की व्याख्या और सुरक्षा करती है जो देश की सर्वोच्च कानूनी संस्था है। यह न्यायिक समीक्षा करती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून

संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अमान्य कर सकती है, जिससे सरकार के असंवैधानिक कृत्य पर अंकुश लगता है, फलतः जनता के हितों की रक्षा होती है तथा लोकतंत्र मजबूत होता है।

भारत में लोकतंत्र का वित्तीय प्रहरी

भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रेदेशों का एक संघ है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत देश/राज्यों के लोगों से संग्रहीत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जो सार्वजनिक धन है। दोनों सरकारें इस धन का उपयोग विकास कार्य तथा जनता के कल्याण हेतु व्यय करती हैं। सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण व्यय का अधिकार सरकार को देश की जनता से प्राप्त हुआ है। अतः संविधान में सार्वजनिक खजाने की निगरानी हेतु एक सार्वजनिक लेखापरीक्षक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति (अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151) का प्रावधान किया गया है, जो सरकार को वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने को विवश करता है तथा वित्तीय अनियमितता को लेखापरीक्षा के माध्यम से उजागर कर, प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

निष्कर्ष

लोकतंत्र शासन व्यवस्था का एक उत्तम स्वरूप है जहां सत्तारूढ़ दल को देश के लोगों द्वारा मतदान की प्रक्रिया से चुना जाता है तथा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्तारूढ़ दल को हर पांच साल में संवैधानिक तरीके से चुनाव का सामना करना होगा, सत्ता विरासत में नहीं मिलती।

संवैधानिक संस्थाओं को लोकतंत्र कायम रखने और इसे मज़बूत बनाने की ज़िम्मेदारी संविधान द्वारा प्रदत्त है। लोकतंत्र की सफलता और सबलता संवैधानिक संस्थाओं की कार्य-कुशलता तथा जनता की जागरूकता पर निर्भर होगी।

— *श्री अशोक पोद्दार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी*

भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं?

भारत में महिलाओं की सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर में बहुत वृद्धि हो रही है। महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, खासकर रात के समय। दुर्भाग्य से, यह हमारे देश की दुखद सच्चाई है। महिलाएं लगातार डर में जी रही हैं।

भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। वे हमारे देश के विकास में योगदान देती हैं, फिर भी वे डर के साये में जी रही हैं। महिलाएं अब देश में सम्मानित पदों पर हैं, लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो हम पाते हैं कि आज भी उनका शोषण हो रहा है। हम हर दिन अपने देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भयानक अपराधों के बारे में पढ़ते और सुनते हैं, जैसे कि यह आम बात हो गई है।

ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबर न सुनते हों। वास्तव में, कम से कम पांच समाचार लेख हैं जो हमें विभिन्न अपराधों के भयानक विवरण के बारे में बताते हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को देखना बेहद दर्दनाक है, खासकर ऐसे देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची काफी लंबी है। देश के कई हिस्सों में एसिड अटैक बहुत आम बात होती जा रही है। अपराधी पीड़ित के चेहरे पर एसिड फेंककर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर भी, भारत में एसिड अटैक से पीड़ित कई महिलाएं हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं।

इसके अलावा, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग बहुत आम है। समाज के डर से पत्नी अपमानजनक रिश्ते में रहती है। परिवार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सम्मान के नाम पर अपनी बेटियों

को मार देता है। इसी तरह, कन्या भ्रूण हत्या भी एक आम अपराध है। प्रतिगामी सोच के कारण लोग बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध की यह सूची बढ़ती जा रही है। अन्य अपराधों में बाल विवाह, बाल शोषण, बलात्कार, दहेज हत्या, तस्करी और कई अन्य अपराध शामिल हैं।

आजकल अखबार में खबरें बढ़ती ही जा रहीं है बलात्कार की खबरें - कहीं देर-रात्रि यात्रा करने के दौरान, कहीं 4-5 वर्ष की बच्चियों के साथ, कहीं कार्यालय में, कहीं घर पर.....। हाय! समझ नहीं आता क्या हो गया है इस समाज को? बच्चे को बच्चा नहीं समझते, लड़की को लड़की नहीं समझती, औरत को औरत नहीं समझती। क्या होगा इस समाज का? सोचती हूँ, तो डर लगता है।

वैसे तो अपराधों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले, सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे अपराधियों को तुरंत सज़ा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए ताकि पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। यह दूसरे पुरुषों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण होगा कि वे महिलाओं के खिलाफ़ अपराध न करें। महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाने चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। उन्हें महिलाओं को अपने बराबर समझना चाहिए ताकि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी न सकें। जब आप किसी को कमज़ोर समझते हैं तो आप उस पर अत्याचार करने लगते हैं। अगर यह सोच खत्म हो जाए तो आधे अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे।

संक्षेप में कहें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध हमारे देश के विकास को रोक रहे हैं। हमें महिलाओं पर दोष नहीं डालना चाहिए और उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए नहीं कहना चाहिए। इसके बजाय, हमें पुरुषों से कहना चाहिए कि वे अपनी सोच बदलें और दुनिया को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए काम करें।

— *श्रीमती टीना आनंद गिरधर, डी.ई.ओ.*

मानिनी का मान

रघुकुल में थी एक अभागिन नारी,
जिसने सही अकेले ही जीवन की व्यथा सारी।
नाम था उस विरहिणी बेचारी का उर्मिला,
पर पति से कभी नहीं था उसका उर-मिला।

वह सती-साध्वी सीता की थी अनुजा भगिनी,
पर वास्तव में थी वह सर्वथा हत भागिनी।
सीता ने तो दी थी एक अग्नि-परीक्षा,
और विश्व ने कर दी उस के चरित्र की समीक्षा।

उसने पति सुख भोगा कुटी में भी रहकर,
यह अभागिन उससे भी वंचित रही महलों में भी रहकर।
राम और सीता ने माँ की आज्ञार्थ था वनवास झेला,
पर उसने पति वियोग झेला नितांत अकेला।

चारु चंद्र की चंचल किरणें सीता का मन हरती थीं,
लेकिन यही शीतल किरणें विरहिणी का तन तपती थीं।
सीता वन में रहकर भी एक सुखी सुहागिन थी,
लेकिन यह किन कर्मों से बनी नितांत अभगिन थी।

पति ने भ्रातृ भक्ति के पालन में तत्परता दिखाई,
और पत्नी को चौदह वर्ष के वियोग की सज़ा सुनाई।
वन जाने के निर्णय का पत्नी को इंगित भी नहीं किया,
भ्रातृ भक्ति की सेवा का संकल्प अकेले ही ले लिया।

क्या केवल सीता ने ही पति संग फेरे पढ़े थे,
क्या उर्मिला ने अग्नि समक्ष संकल्प नहीं लिए थे।
उर्मिला मानिनी थी, लक्ष्मण समझ नहीं पाया मान उसका,
लक्ष्मण भाई-भाभी के संग वन की ओर सिधारे।
उसे सर्वथा अकेला छोड़ गए किसके सहारे।

माना श्रुतकीर्ति और मांडवी ने भी न्याय किया है,
पर क्या उसके समान किंचित भी अनुताप किया है।
क्या उनका वन गमन उसके खोए यौवन में रस ला सकेगा,
जो असहनीय वियोग सहा है उसका प्रतिकार दिला सकेगा।

कल युग में सुहागिनें पूजा करेंगी सीता की ही,
पर सदा रहेगी उपेक्षित बेचारी उर्मिला ही।
युग-युग तक अमर रहेगी सीता की ही कथा सारी,
पर क्या उचित है जग भूले रघुकुल की यह अभागिन नारी।

— *श्रीमती सीमा सिंघल, सहायक पर्यवेक्षक*

मानवता जाग गई अब

भूमि, धरती, भू, धरा,
तेरे हैं ये कितने नाम, तू थी रंग-बिरंगी,
फल-फूलों से भरी-भरी, तूने हम पर उपकार किया,
हमने बदले में क्या दिया? तुझसे तेरा रूप है छीना,
तुझसे तेरे रंग है छीने,
पर अब मानव जाग गया है,
हमने तुझसे ये वादा किया,
अब न जंगल काटेंगे, नदियों को साफ रखेंगे,
लौटा देंगे तेरा रंग तुझे, लौटा देंगे तेरा कर्ज़ तुझे
ये है वादा हमारा, चाहे आए कितनी भी बाधा,
चाहे हो कितनी बारिश और धूप, न करेंगे धरा को अब अपने से दूर,
मानवता जाग गई अब, अब न बिगड़ने देंगे इस धरती को हम,
लगाएंगे पेड़ और खिल उठेगी फिर से ये धरा,
मुसकुराओगी तुम अब, पहले जैसी हो जाएगी फिर से ये धरा।

— श्रीमती टीना आनंद गिरधर, डी.ई.ओ.

नारी और हमारा समाज

नारी संसार का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेल से लेकर अंतरिक्ष तक, घर से लेकर हमारे स्कूल और कार्यस्थलों तक महिलाएं हर जगह हैं। आज की दुनिया में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बुद्धिमान नहीं हैं। किसी देश के विकास के लिए सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। पहले के समय में महिलाएं सिर्फ रसोई में काम करती थीं। उन्हें न तो सम्मान दिया गया और न ही शिक्षित किया गया। लेकिन आज की पीढ़ी में महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं, ओलंपिक खेल सकती हैं और देश के लिए स्वर्ण पदक भी जीत सकती हैं।

आज के समय में अधिकार महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं, वह अपने दम पर कुछ भी कर सकती हैं। आज के समय में महिलाएं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मज़बूत हैं। एक शिक्षित महिला वे सभी कार्य कर सकती है जो शिक्षित पुरुष नहीं कर पाते। आज की नारी हर किसी पर भारी है, यह बात सही कही गई है। हमें केवल 8 मार्च को महिला दिवस नहीं मनाना चाहिए बल्कि हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह हमारी शिक्षक, माँ या सिर्फ एक अजनबी हो, हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को कमजोर लिंग कहना अपमान है; यह स्त्री के प्रति पुरुष का अन्याय है। यदि ताकत से तात्पर्य नैतिक शक्ति से है तो स्त्री पुरुष से अत्यधिक श्रेष्ठ है।

क्या वह अधिक आत्म-बलिदान नहीं करती है, क्या उसमें सहनशक्ति की महान शक्ति नहीं है, क्या उसके अंदर पुरुष से अधिक साहस नहीं हो सकता है? आज के समय में नारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। यदि वह घर पर भी है तो भी उसका कार्य करने का तरीका अलग है। वह घर-परिवार का बहुत अच्छे से संचालन करती है। फिर भी कई घरों मे उसकी इज्जत नहीं है, ऐसा क्यों? लड़कियों के पैरों में पाबंदी क्यों है? उसे लड़के से कम क्यों माना जाता है? माता पिता बेटियों के होने पर दुखी क्यों होते हैं और बेटों के होने पर जश्न क्यों मनाते हैं? बेटियों को बोझ क्यों मानते हैं? यह कुछ सवाल है जो मैं सोचती हूँ और शायद आप भी।

— सुश्री रिधि धवन,
सुपुत्री श्रीमती रिंकी गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

सेवानिवृत्ति

कार्यालय के निम्नांकित सहकर्मी उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। सूर्यसुता परिवार सभी सेवानिवृत्त एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सहकर्मियों को स्वस्थ दीर्घायु एवं क्रियाशील जीवन की शुभकामनाएं देता है।

सेवानिवृत्त एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्मिकों की सूची

1.	श्री घनेन्द्र गौतम, स.ले.प.अ.	सेवानिवृत्ति	31.12.2023
2.	श्री राजेश छाबड़ा, व.ले.प.अ.	सेवानिवृत्ति	31.01.2024
3.	श्री जगदीश सिंह भारद्वाज, आं.प्र.सं.	सेवानिवृत्ति	31.01.2024
4.	श्रीमती राजिन्दर कौर, सहायक पर्यवेक्षक	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	05.01.2024
5.	श्री कमल किशोर शर्मा, व.ले.प.अ.	सेवानिवृत्ति	29.02.2024
6.	श्री पवन कुमार भारद्वाज, पर्यवेक्षक	सेवानिवृत्ति	31.03.2024
7.	श्री संजीव कुमार, पर्यवेक्षक	सेवानिवृत्ति	31.03.2024
8.	श्रीमती संगीता गंभीर, सहायक पर्यवेक्षक	सेवानिवृत्ति	30.04.2024
9.	श्रीमती रहिना महेंद्रू, पर्यवेक्षक	सेवानिवृत्ति	30.04.2024
10.	श्रीमती ओमवती, व.ले.प.	सेवानिवृत्ति	30.04.2024
11.	श्री दलजीत सिंह बिष्ट, पर्यवेक्षक	सेवानिवृत्ति	30.06.2024
12.	श्री पंकज कुमार, व.ले.प.अ.	सेवानिवृत्ति	31.08.2024

हिंदी का पतन, भारत का पतन है।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 100% 2 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 100% 3 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65% 4 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 90% 2 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 90% 3 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55% 4 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 55% 2 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 55% 3 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55% 4 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	I मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निद./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	II मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	III विदेश में स्थित केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकाररियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		

14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें		
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐस अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो।	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग)		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40% "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।		

हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है,

हर दिन, हर पल, हम सबको हिंदी दिवस मनाना है।

"हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी 2024" का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए महालेखाकार महोदया श्रीमती रोली शुक्ला माल्गे

संयुक्त हिंदी पखवाड़ा 2024 के दौरान आयोजित "अनुवाद एवं आलेखन" प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण

हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी 2024 की कुछ झलकियां